

संक्षिप्त समाचार

महंत नृत्य गोपाल दास की तबियत बिगड़ी मेदांता में भर्ती

लखनऊ। श्रीरामजन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं मणिग्राम छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक फिर बिगड़ने पर बुधवार को इलाज के लिए उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर विशेषज्ञों की देख रेख में उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि महंत ने पिछले 36 घंटे से कुछ भी नहीं खाया है। उल्टी दस्त की समस्या के बाद महंत नृत्य गोपाल दास को लगातार कमजोरी महसूस होने पर चिकित्सक की निगरानी में रखा गया, लेकिन वह कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अस्पताल के निदेशक डा. राकेश कपूर ने उनके भर्ती होने की पुष्टि करते हुए कहा कि अभी आधे घण्टे पूर्व आए हैं। इमरजेंसी में महंत नृत्य गोपाल दास की जांच चल रही है। जांच के आधार पर इलाज की दिशा तय की जाएगी।

पर्यावरण मंत्रालय में ‘वंदे मातरम’ का सामूहिक गायन

नई दिल्ली। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बुधवार को यहां वंदे मातरम के सामूहिक गायन का आयोजन किया। मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार के नेतृत्व में इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्र गीत की भावपूर्ण प्रस्तुति में शामिल हुए और यहां इंदिरा पर्यावरण भवन में मंत्रालय के परिसर में राष्ट्रीय गीत के सामूहिक गायन को ध्वनि गुंजी। सामूहिक गायन का आयोजन देश के विभिन्न हिस्सों में मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सोमवार 19 जनवरी से रविवार 26 जनवरी तक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष के स्मरणोत्सव के चरण-2 के हिस्से के रूप में मनाया जा रहा है।

न्याय, समता और बंधुता भारतीय संविधान की आत्मा

विधायिका समाज को दिशा देती है : योगी

शाह टाइम्स ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि न्याय, समता और बंधुता भारतीय संविधान की आत्मा हैं और इन्हीं मूल्यों के आधार पर देश की विधायिका समाज को दिशा देने का कार्य करती है। मुख्यमंत्री ने यह बात लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समान सत्र को संबोधित करते हुए कही।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन की साक्षी बनी है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस सम्मेलन से सीधे जुड़े हैं, वे अपने अनुभवों के माध्यम से इसकी गंभीरता और उपयोगिता को महसूस कर रहे हैं, जबकि अन्य लोग मीडिया के जरिए इसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में शामिल



■ मुख्यमंत्री ने कहा: न्याय कैसे प्राप्त किया जाए, इसका मार्ग विधायिका तय करती है

■ भव्य जनोत्सव के रूप में मनाया जाएगा इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस-2026: सीएम

सभी पीठासीन अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह मंच केवल संवाद का अवसर नहीं है, बल्कि यह तय करने का भी माध्यम है कि लो. कर्तात्रिक संस्थाओं का उपयोग कैसे किया जाए और वे किस दिशा में आगे बढ़ें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय कैसे प्राप्त किया जाए, इसका मार्ग विधायिका तय करती है, क्योंकि वही ऐसे कानूनों का निर्माण करती है, जो समाज के प्रत्येक वर्ग को

न्याय दिलाने में सहायक होते हैं। उन्होंने कहा कि विधायिका समतामूलक समाज की स्थापना का माध्यम है। उन्होंने कहा कि बंधुता का अर्थ यह है कि सहमति और असहमति के बावजूद हम सब एक साथ आगे बढ़ते हैं और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सशक्त विधायिका ही सशक्त लोकतंत्र की आधारशिला है और ऐसे आयोजनों से देश में बेहतर संसदीय परंपराओं को मजबूती

मुख्यमंत्री योगी ने मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के स्थापना दिवस के अवसर पर इन राज्यों के नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने इन पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और विकास की निरंतर प्रगति की कामना की। योगी आदित्यनाथ ने मेघालय राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पुरातन परंपराओं के अनुपम प्रतीक मेघालय की पहचान उसकी प्रकृति, संस्कृति, संस्कार और लोक आस्था से है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि यह राज्य उन्नति और प्रगति के नए-नए आयाम गढ़ते हुए विकास की नवीन ऊंचाइयों को स्पर्श करता रहे।

मिलती है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश दिवस-2026 को इस वर्ष व्यापक जनभागीदारी के साथ भव्य जनोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 24 से 26 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस तीन दिवसीय आयोजन में प्रदेश की संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और विकास यात्रा को एक साथ प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश दिवस की तैयारियों

खड़गे-राहुल मनरेगा श्रमिकों से करेंगे सीधा संवाद

नई दिल्ली, वातां

कांग्रेस ने गुरुवार को यहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना-मनरेगा पर एक राष्ट्रीय संवाद का आयोजन किया है, जिसमें देश के करीब 25 राज्यों से 400 से अधिक मनरेगा श्रमिक तथा कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे और मनरेगा को खत्म करने से हो रहे नुकसान पर व्यापक चर्चा करेंगे।

कांग्रेस रचनात्मक विभाग के प्रमुख संदीप दीक्षित ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मनरेगा लोगों को अधिकार के रूप में मिला है, लेकिन भाजपा सरकार ने इस अधिकार को छीना है और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और इसकी बहाली के लिए देशव्यापी आंदोलन चला रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मनरेगा में काम किया है उनके विचार से रु ब रु होने के मद्देनजर गुरुवार को यहां जवाहर भवन में संवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मनरेगा से जुड़े देशभर से आए लोग चर्चा करेंगे और आगे के लिए रणनीति बनाएंगे। इस कार्यक्रम में करीब 25 राज्यों से मनरेगा के रूप में काम करने वाले श्रमिकों के साथ ही मनरेगा के लिए काम करने वाले लोग भी शामिल होंगे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मनरेगा श्रमिकों के साथ सीधा संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि मनरेगा को बदलकर भाजपा जिस नए एक्ट (बीबी-जी राम



■ कार्यक्रम में देश के 25 राज्यों से 400 से अधिक मनरेगा श्रमिक तथा कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे

जी) को लार्ड है, उसका कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। कई राज्यों और जिलों में ‘मनरेगा बचाओ अभियान’ चलाया जा रहा है। आखिर सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों पर हमला किया है। पंचायत के लोग इस कार्यक्रम में बताएंगे कि किस तरह से मनरेगा ने उनकी मदद की है और उनके गांवों में विकास कार्य हुआ है इन सब मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि मनरेगा योजना कोविड के समय में करोड़ों लोगों के लिए एक संजीवनी बनी थी। मनरेगा ने लोगों के मन में अपनी जगह बना ली थी। ऐसे में हमने तमाम ऐसी संस्थाओं से संवाद किया, जो किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए काम करते रहे हैं। संवाद और चर्चाओं में एक ही बात निकल कर आई है कि लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में मनरेगा पर संवाद होगा और जो कार्यकर्ता हैं वे अपने विचार रखेंगे। ये वो लोग हैं, जिन्होंने

खड़गे ने केरल कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में बुलाई बैठक

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में बैठक बुलाई है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि यह बैठक पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में 23 जनवरी को होगी। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा कांग्रेस नेतृत्व एक के बाद एक चुनावी राज्यों के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक कर रहा है। इस वर्ष विधानसभा चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुच्चेरी के नेताओं के साथ बैठक का दौर जारी है। कांग्रेस नेतृत्व ने 23 जनवरी को केरल कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रभारी और राज्य के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली बुलाया है।

सेसेक्स 84695.54
निफ्टी 25942.10

सोना रु. 138161
प्रति 10 ग्राम (24 कैरेट)

अर्थव्यापार

चांदी रु. 243883
प्रति किलो

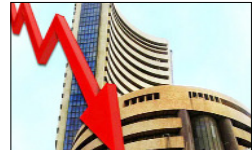


शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन टूटा सेंसेक्स में 1282 अंक का उतार-चढ़ाव

मुंबई, वातां

ग्रीनलैंड को लेकर जारी वैश्विक अनिश्चितता के बीच घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट रही और बीएसई के 30 शेयरों वाले संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में 1,282 अंक का उतार-चढ़ाव देखा गया। घरेलू स्तर पर रुपये पर जारी दबाव का असर भी देखा जा रहा है।

रुपया फिलहाल मंगलवार के मुक. बले 74 पैसे नीचे 91.71 रुपये प्रति डॉलर पर है। भारतीय मुद्रा पहली बार इस स्तर तक टूटी है। सेंसेक्स सुबह 386 अंक नीचे खुला। यह दोपहर से पहले 81,124.45 अंक तक उतरे के बाद दोपहर बाद 82,407.05 अंक तक चढ़ा। इस प्रकार सूचकांक में एक ही दिन में 1,282 अंक का उतार-चढ़ाव देखा। अंत में पिछले कारोबारी दिवस की तुलना में 270.84



अंक (0.33 प्रतिशत) नीचे 81,909.63 अंक पर बंद हुआ, जो 08 अक्टूबर 2025 के बाद का निचला स्तर है। इससे पहले, मंगलवार को सेंसेक्स 1,066 अंक गिरा था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक एक समय 312 अंक तक टूटने के बाद अंत में 75 अंक यानी 0.30 प्रतिशत नीचे 25,157.50 अंक पर बंद हुआ। यह सूचकांक का 14 अक्टूबर 2025 के बाद का निचला स्तर है। मझौली और छोटी कंपनियों में न्यादा गिरावट रही। निफ्टी मिडकैप-50 सूचक. 1.10 अंक और स्मॉलकैप-100

सूचकांक 0.90 अंक लुढ़क गया। धातु (0.57 प्रतिशत) और तेल एवं गैस (0.27 प्रतिशत) समूहों के सूचकांकों में तेजी रही, जबकि अन्य सभी सेक्टरों के सूचकांक लुढ़क गए। सेंसेक्स की कंपनियों में आईसी आईसीआई बैंक का शेयर दो प्रतिशत के करीब टूटा। टैट, बीएसएल, एचडीएफसी बैंक और एनएलडी में एक से दो प्रतिशत की गिरावट रही। भारतीय स्टेट बैंक, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, कटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी, एशियन पेट्रोल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और हिंदुस्तान यूनिफाई के शेयर भी ढाल निशा में रहे। इंटेलनेट का शेयर पांच प्रतिशत चढ़ा। अल्ट्राटेक सीमेंट और इंडीगो में भी एक से दो प्रतिशत की तेजी रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी पोर्ट्स, पावरग्रिड, टाटा स्टील, टीसीएस, बजाज फिनसर्व और टेक महिंद्रा के शेयरों में भी तेजी रही।

आने वाले समय में होगा अधिक विद्युत क्षेत्र का विस्तार: मनोहर लाल

नई दिल्ली।

केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बढ़ती अर्थव्यवस्था को आज की कल्पना से कहीं अधिक एक समृद्ध विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता है आने वाले समय में विद्युत क्षेत्र का अधिक विस्तार होने वाला है। खट्टर से बुधवार को यहां विद्युत वितरण उद्योग सम्मेलन (ईडीकोन) 2026 के उद्घाटन के बाद कहा कि बढ़ती अर्थव्यवस्था को आज की कल्पना से कहीं अधिक एक समृद्ध विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता है। ऐसे में, हमारे डीएससीओ का मजबूत, समृद्ध और आर्थिक रूप से सशक्त होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मजबूत डीएससीओ का अर्थ बेहतर सेवाएं और उपभोक्ताओं की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशीलता है। उन्होंने टैक्स विद्युत नियामक आयोगों से लागत के अनुरूप दरों की दिशा में आगे बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने साथ ही विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जरूरतमंद उपभोक्ताओं के लिए लक्षित सब्सिडी सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। खट्टर ने इस दौरान छह अलग-अलग विषयों में 12 वितरण कंपनियों को स्वर्ण और रजत पुरस्कार प्रदान किए।

चावल, गेहूं, खाद्य तेलों में तेजी दालों में रही घट-बढ़

नई दिल्ली, वातां

घरेलू थोक जिंस बाजारों में बुधवार को चावल के औसत भाव बढ़ गए। गेहूं और खाद्य तेलों में भी तेजी रही, जबकि चीनी की कीमत स्थिर बनी रही। दालों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा।

औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत दो रुपये बढ़कर 3,856 रुपये प्रति क्विंटल के साथ पहुंच गई। गेहूं तीन रुपये महंगा हुआ और 2,856 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा। चूने के साथ 52.87 सेंट प्रति पौंड बोला गया। स्थानीय बाजारों में सरसों तेल औसतन 63 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हुआ। वनस्पति में 72 रुपये और सूरजमुखी तेल में 41 रुपये की तेजी रही। पाम ऑयल 37 रुपये मजबूत हुआ। सोया तेल 29



रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट रही। विदेशों में मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का अप्रैल वायदा 60 रिंगिट की मजबूती के साथ 4,154 रिंगिट प्रति टन पर पहुंच गया। अमेरिकी सोया तेल का मार्च वायदा 0.61 प्रतिशत चढ़कर 52.87 सेंट प्रति पौंड बोला गया। स्थानीय बाजारों में सरसों तेल औसतन 63 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हुआ। वनस्पति में 72 रुपये और सूरजमुखी तेल में 41 रुपये की तेजी रही। पाम ऑयल 37 रुपये मजबूत हुआ। सोया तेल 29

रुपये प्रति क्विंटल महंगा हो गया। मिठे के बाजार में आज गुड़ के औसत भाव तीन रुपये प्रति क्विंटल बढ़े। चीनी कमोवेश पिछले दिवस के स्तर पर ही रही। साठारी वेबसाइट पर जारी खाद्यान्नों के दिन के औसत थोक भाव इस प्रकार रहे: दाल-दलहन : दाल चना 7785.27 रुपये, मसूर काकी 8127.73 रुपये, मूंग दाल 10103.95 रुपये, उड़द दाल 10433.24 रुपये, तुअर दाल 10637.48 रुपये प्रति क्विंटल। अनाज: (भाव प्रति क्विंटल) गेहूं दड़ा 2859.32 रुपये और चावल 3855.86 रुपये प्रति क्विंटल आटा (गेहूं) 3296.16 रुपये प्रति क्विंटल। चीनी-गुड़: चीनी एच 4292.49 रुपये और गुड़ 4989.41 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए।

अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्राधिकरण को नोटिस का जवाब भेजा

प्रयागराज, वातां

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के नोटिस का जवाब उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता ए के मिश्रा के माध्यम से भेज दिया है।

अधिवक्ता की तरफ से कल रात आठ पन्नों का प्रयागराज मेला प्राधिकरण को भेजे गए हैं इस विस्तृत जवाब में मेला प्राधिकरण के आरोपों को सिर से नकार दिया गया है। नोटिस के जवाब में कहा गया है कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जीवनकाल में ही अविमुक्तेश्वरानंद नंद को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। 11 सितम्बर 2022 को ब्रह्मलीन हुए थे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज 12 सितम्बर 2022 को वैदिक विधिविधान के साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विधिवत

अभिषेक किया गया एवं सार्वजनिक समारोह में शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठापन किया गया था। उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि अभिषेक पहले ही हो चुका था, 14 अक्टूबर 2022 के आदेश में यह तथ्य दर्ज है शंकराचार्य पद पर बने रहने को लेकर किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। श्रृंगेरी, द्वारका और पुरी पीठ के शंकराचार्यों का समर्थन होने का दावा किया गया है। भारत धर्म महामंडल द्वारा भी मान्यता का उल्लेख किया गया है। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की पंजीकृत वसीयत को वैध बताया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने वसीयत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की थी। यह जानकारी नोटिस के जवाब में दी गई है। विरोधी पक्ष के बयानों को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि वाद दायर किया गया था, लेकिन विरोधी द्वारा दायर

आवेदन बाद में वापस लिया गया कुछ व्यक्तियों पर उच्चतम न्यायालय में गलत जानकारी देने का आरोप भी लगा था। फर्जी दस्तावेज पेश करने और भ्रम फैलाने का दावा किया गया है। इस नोटिस में प्रयागराज मेला प्राधिकरण के पत्र को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया गया है। इस प्रशासनिक हस्तक्षेप को असंवैधानिक करार दिया है मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन तीसरे पक्ष के बयान को न्यायाधीन बताया गया है। शंकराचार्य पद को लेकर भ्रम फैलाने से सामाजिक और प्रतिष्ठा की क्षति का दावा किया गया है नोटिस के जवाब में यह कहा गया है कि अगर 24 घंटे में अगर मेला प्रशासन को नोटिस वापस नहीं लेता है तो न्यायालय की अवमानना और शंकराचार्य परंपरा एवं स्वामी जी की छवि धूमिल करने के लिए विधिक कार्यवाही की जाएगी। नोटिस का जवाब प्राधिकरण उपाध्यक्ष को मेल के जरिए भी भेजा गया है।

कीटनाशकों के ई-कॉमर्स के लिए बनें कड़े कानून: संगठन

नई दिल्ली, वातां

कीटनाशक बनाने वाली 17 बड़ी कंपनियों के संगठन 'क्रॉपलाइफ इंडिया' ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इनकी बिक्री के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की है, ताकि घंटिया या नकली उत्पादों से किसानों को संभावित नुकसान की स्थिति में जवाबदेही तय की जा सके।

क्रॉपलाइफ इंडिया के अध्यक्ष और क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन के कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अंकुर अग्रवाल ने बुधवार को यहां ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फसलों की सुरक्षा से संबंधित उत्पादों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन से इतर संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि मौजूदा समय में कीटनाशकों का विधेयक नेशनलसाइड्स एक्ट, 1968 के तहत होता है। सरकार ने साल 2022 में इसमें संशोधन कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आम उत्पादों की तरह कीटनाशकों की बिक्री के



लिए भी अनुमति प्रदान की थी। अब सरकार पेंस्टिसाइड मैनेजमेंट विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, जिसका प्रारूप तैयार हो चुका है। सरकार ने संगठन से 04 फरवरी तक अपने सुझाव सौंपने के लिए कहा है। विधेयक के प्रारूप का स्वागत करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि जिस प्रकार विक्रेता को लाइसेंस की जरूरत होती है उसी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के लिए भी लाइसेंस या मान्यता अनिवार्य की जानी चाहिए। वर्तमान समय में यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं है कि ऑनलाइन बिक रहा पेंस्टिसाइड असली है या नकली। उन्होंने कहा कि यदि कोई

कंपनी बिना लाइसेंस के कीटनाशक बेच रही है, तो उस पर भी नकली उत्पाद की तरह ही कार्रवाई होनी चाहिए। कार्यक्रम को केंद्रीय कृषि आयुक्त पीके सिंह और केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं संघीय विभाग के सचिव सुभाष चंद ने भी संबोधित किया। अग्रवाल के अनुसार इस समय देश का घरेलू कीटनाशक बाजार लगभग 26 हजार करोड़ रुपये का है और निर्यात 40 हजार करोड़ रुपये है।

उन्होंने कहा कि घरेलू बिक्री में एक प्रतिशत से कुछ कम हिस्सेदारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों की है। इसमें कई बार नकली और घंटिया कीटनाशकों की खबरें भी आती हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी तय करने के लिए कोई नियम नहीं होने के कारण उसके माध्यम से नकली उत्पादों की बिक्री और आसान हो जाती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कीटनाशकों पर भारी छूट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि उत्पाद घंटिया हों, कंपनियों की बाजार पर कब्जे की कोशिश भी एक कारण हो सकता है। उन्होंने कहा कि वे किसी अधिकतम या न्यूनतम मूल्य का समर्थन नहीं करेंगे। विधेयक के प्रारूप में प्रावधान है कि कंपनियों को आवेदन के 12 महीने के भीतर लाइसेंस नहीं मिलने पर उसे मंजूर मान लिया जाएगा। अग्रवाल ने इसे उचित बताया हुए इससे सेफ्टी के साथ समझौते की आशंकाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि आज भी देश में कीटनाशकों का इस्तेमाल काफी कम होता है। यह करीब 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि कई विकसित देशों में यह औसत चार-पांच हजार ग्राम प्रति हेक्टेयर है। अग्रवाल ने बताया कि अक्टू 10 साल में कीटनाशक उद्योग में औसतन 8.10 प्रतिशत सालाना की दर से वृद्धि की उम्मीद है।

शेरबाज पठान आसपा में शामिल

कांग्रेस को दिया धीरे से जोर का झटका, आसपा को मिलेगी मजबूती

शाह टाइम्स ब्यूरो

बिजनौर। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं चांदपुर की चेंबरपर्सन जीनत परवीन के शौहर शेरबाज पठान अपने समर्थकों के साथ आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस को जोर का झटका धीरे से दे दिया है। शेरबाज पठान के द्वारा उठाए गए कदम के कई घंटे बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की अनुशासन समिति के सदस्य श्याम किशोर शुक्ला ने पत्र जारी कर उनको छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए जाने की घोषणा की। हालांकि उनके इस पत्र का कोई महत्व नहीं रह गया है।

प्राप्त समाचार के अनुसार जनपद की राजनीति में अपना अलग वजूद रखने वाले दिग्गज नेता शेरबाज पठान ने अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रशेखर के हाथों पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनके साथ हाजी युसुफ एवं अनरोहा नार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष महावज सिंह एड. ने भी आसपा की सदस्यता



ग्रहण की। इस दौरान आसपा नेता मोमपाल वालियान, ईश्वर दयाल, रईस कुरैशी आदि भी मौजूद थे। आसपा अध्यक्ष चन्द्रशेखर ने उन्हें पार्टी का एटका पहना कर सदस्यता ग्रहण कराई।

गौरतलब है कि शेरबाज पठान

जनपद के दिग्गज नेता हैं। वह जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और चांदपुर के साथ-साथ पूरे जनपद में उनके समर्थक भारी संख्या में मौजूद हैं। वह जनपद की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखते हैं। चांदपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ नगर में उनकी

मजबूत पकड़ है। विरोधी भी उनका लोहा मानते हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद से हटने के बाद उनके अगले कदम पर सभी की नजर थी। उनके ऊपर आजाद समाज पार्टी में शामिल होने का भारी दबाव था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने

उनका सम्मानजनक समायोजन नहीं किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता जिस तरह से संगठन को चला रहे हैं और प्रदेश में जिस तरह की स्थिति कांग्रेस में बनी हुई है, उसमें भी शेरबाज पठान जरूर स्वयं को असहज महसूस कर रहे होंगे। एक समय प्रियंका गांधी के बेहद करीबी शेरबाज पठान ने जनपद में कांग्रेस को मजबूत करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। इसी लिए भाजपा सरकार ने उनके खिलाफ सीएए के आंदोलन के दौरान तमाम मुकदमें दर्ज कराए थे। वह हमेशा विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। वह सच को सच बोलने में ही विश्वास रखते हैं। वह किसी से भी नहीं डरते हैं। उन्होंने खुद को सूरमा समझने वाले नेताओं को भी उनकी औकात दिखाई है। शेरबाज पठान के इस कदम से जनपद में आजाद समाज पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। पार्टी में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अन्य नेताओं को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। जनपद में आसपा का कुनबा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। चुनाव में इसका फायदा होगा।

तिरंगा विवाद का शांतिपूर्ण समाधान

स्योहारों। नगर के ठाकुर मंदिर

परिसर में राष्ट्रीय तिरंगा लगाने को लेकर चल रहे विवाद का आखिरकार शांतिपूर्ण ढंग से निस्तारण हो गया। पालिका अध्यक्ष शेख फ़ैसल वारसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि कुछ लोगों द्वारा यह भ्रम फैलाया गया कि राष्ट्रीय ध्वज का विरोध किया जा रहा है जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि तिरंगा का किसी प्रकार का विरोध नहीं किया गया, बल्कि केवल यह बात सामने रखी गई थी कि ठाकुर मंदिर में स्थापित हनुमान मूर्ति के ठीक ऊपर या उसके समकक्ष तिरंगा न आए। लोगों की आस्था से जुड़ा विषय होने के कारण यह सुझाव दिया गया कि राष्ट्रीय ध्वज को कुछ फिट और ऊंचा लगाया जाए ताकि हनुमान मूर्ति की गरिमा और सौंदर्य पर कोई प्रभाव न पड़े। भाजपा सभासद रवेत रस्तोगी ने कहा कि उनका उद्देश्य था कि तिरंगा हनुमान मूर्ति से ऊपर लगाया जाए न कि मूर्ति के बराबर या उस पर आच्छादित हो। इससे मूर्ति की सुंदरता भी बनी रहे और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान भी पूरी तरह हो। पालिका अध्यक्ष द्वारा तिरंगे की ऊंचाई बढ़ाए जाने के निर्णय के बाद पूरा विवाद स्वतः समाप्त हो गया।

एक नजर

नूरपुर ब्लॉक में प्रशिक्षण



नूरपुर। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत विकासखंड सभागार में ग्राम पंचायत विकास योजना, क्षेत्र पंचायत विकास योजना एवं जिला पंचायत विकास योजना निर्माण के विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान, खंड विकास अधिकारी डॉ. दिनेश पाल शर्मा, प्रशिक्षक मोहम्मद वसीम व ममता सेनी द्वारा किया गया। ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान ने विकास योजना निर्माण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया को समझाना था। प्रशिक्षक मोहम्मद वसीम द्वारा सतत विकास के 17 लक्ष्यों पर चर्चा की गई। सभी लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करना है। सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण विषय पर आधारित नी शीम पर चर्चा की गई।

शिव सैनिकों ने सौंपा ज्ञापन



कालागढ़। कोबेट टाइगर रिजर्व से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में जंगल से निकल आने वाले जंगली जानवरों के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। शिव सेना जिला अध्यक्ष संजय राणा का कहना है कि जंगली जानवरों से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। रात के समय खेतों में घुसकर ये जानवर पूरी फसल नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने जंगली जानवरों द्वारा नष्ट की गई फसलों का यथा शीघ्र सर्वे कर अधिक्तम मुआवजा प्रदान करने की मांग की। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी टावरों के निर्माण की मांग की गई। किसी भी जंगली जानवर के कारण मानव मृत्यु होने पर पचास लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। इस संबंध में जिम्मेदार नागरिकों को ज्ञापन भेजा गया।

राजीव कुमार जिलाध्यक्ष नियुक्त

बिजनौर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा ने संगठन को अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजीव कुमार को जनपद का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। राजीव कुमार की इस जिम्मेदारी को लेकर संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। राजीव कुमार ने अपनी नियुक्ति पर कहा कि वह संगठन की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने और हिंदुत्व एवं राष्ट्रहित में पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे।

फायरिंग प्रकरण में किशोर को पकड़ा

बिजनौर। 22 दिसम्बर को चक्कर रोड बाइपास स्थित देवी लोक कॉलोनी में गन्ने के खेत में 40-50 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा आपसी रींश को लेकर एक-दूसरे पर धारादा हथियारों से हमला करने एवं जान से मारने की नीयत से फायरिंग की सूचना पुलिस को मिली थी। उपनिरीक्षक संजय कुमार ने शहर कोतवाली में गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें सात क्रिमिनल एक्ट भी लगाई गई थी। विवेचना के दौरान अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आने पर दीपक उर्फ पठान पुत्र राजपाल निवासी ग्राम भवानीपुर (मंडावर), पंकज पुत्र धनश्याम निवासी रामपुर बकली एवं दूसरे पक्ष के ऋषभ पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम तीमरपुर व जेद उर्फ कलवा पुत्र नसीम अहमद निवासी ग्राम जंदरपुर सहित अभय पुत्र सुनील निवासी ग्राम धनुवाला को हथियारों सहित गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। इस मामले में आज एक किशोर को पकड़ा गया है।

संचारी रोगों से बचाव को निकाली रैली



नगीना। एम.एम. इंटर कॉलेज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना की कस्बा कोटरा को कैप के चतुर्थ दिवस का शुभारंभ कार्यक्रम अधिकारी रामकुमार सिंह गौतम तथा दिवस के विशेष कार्यक्रम संचारी रोग के अतिथि डॉ. माज शमसी, डा. आनमोल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम संयोजक राम कुमार सिंह गौतम ने अतिथियों का गुरुदस्ता भेंट कर स्वागत किया। अतिथियों ने इस कार्यक्रम अनुसार संचारी रोग के संदर्भ में ग्राम वासियों को तथा सेवक सेविकाओं को जागरूक किया। कार्यक्रम में आए समस्त मेडिकल स्टाफ ने संचारी रूप के संबंध में बचाव के सभी तरीकों से सेवक सेविकाओं को अवगत कराया। इस कार्यक्रम का निरीक्षण प्रधानाचार्य पंडित दीनदयाल राजकीय इंटर कॉलेज बेनीधुर कोपा कैलाश चंद ने किया। कैप कार्यालय में किए जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण करके सभी की सराहना की। इस मौके पर ग्राम कोटरा में एक रैली कार्यक्रम के द्वारा संचारी रोगों के संबंध में जागरूक किया गया। कार्यक्रम का संचालन शहाजद अहमद ने किया तथा विद्यालय के अध्यापक नर सिंह, मोनिस हिलाल, सहायक व सहायिका मिथुन कुमार तथा पूनम रानी ने कार्यक्रम में सहयोग किया।

ग्रामीणों को आमंत्रण पत्र दिए

अफजलगढ़। सर्व हिन्दू समाज के पदाधिकारियों ने गांव भूतपुरी में घर घर भ्रमण कर लोगों से संपर्क कर विराट हिन्दू सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आमंत्रण पत्र दिए। गांव हाफिजबाद में 25 जनवरी को होने वाले हिन्दू सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके तहत समिति के पदाधिकारी बुधवार को गांव भूतपुरी पहुंचे और घर-घर पहुंचकर हिन्दू सम्मेलन को सफल बनाने की अपील की। समिति के कार्यक्रम अध्यक्ष पंडित देवेंद्र दत्त शर्मा ने बताया कि सम्मेलन का आयोजन जात पात को भुलाकर हिन्दुओं के एकजुटता के लिए किया जा रहा है, जिसमें आरएसएस के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। आमंत्रण देने वालों में देवेंद्र शर्मा, धर्मवीर सिंह, सौरभ शर्मा, चंद्रभान सिंह, नितिन कुमार, परवेन्तर सिंह, उदित कुमार, शुशील कुमार, नितिन कुमार आदि पदाधिकारी रहें।

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

‘शाह टाइम्स’

की शत-प्रतिशत गारंटी

खबरें छुपाता नहीं, छापता है

मोबाइल नम्बर:- 9927777377

samiullah.bijnor@gmail.com

गेस्ट हाउस में युवक की मौत

चार महीने पहले तय हुई थी शादी

शाह टाइम्स संवाददाता

धामपुर। धामपुर शगर मिल परिसर स्थित गेस्ट हाउस में तहरे राजस्थान निवासी एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक का शव गेस्ट हाउस के कमरे में मिलने से मिल परिसर सहित पूरे नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है।

मृतक की पहचान उत्कर्ष सिसोदिया (30 वर्ष) पुत्र टिकेंद्र सिसोदिया, निवासी वैशाली नगर वार्ड नंबर-22, जयपुर (राजस्थान) के रूप में हुई है। युवक बीते 12 जनवरी से धामपुर शगर मिल के गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्कर्ष सिसोदिया को एक न्यायिक अधिकारी की संस्तुति पर शगर मिल के गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। बताया जा रहा है कि युवक ने गेस्ट हाउस स्टॉफ और मिल अधिकारियों से स्पष्ट रूप से अनुरोध किया था कि प्रातः 10 बजे के बाद उसे डिस्टर्ब न किया जाए। इसी कारण बुधवार की सुबह जब नियमित रूप से नाश्ता देने का समय हुआ तो अटेंडेंट करीब सुबह 9 बजेकर 45 मिनट पर नाश्ता



लेकर कमरे पर पहुंचा। कमरे का दरवाजा खुला देख अटेंडेंट को कुछ असहजता हुई। जब उसने अंदर जाकर देखा तो वह दृश्य देखकर घबरा गया। युवक का शरीर आधा बेंड पर और आधा जमीन पर पड़ा हुआ था और उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। अटेंडेंट ने तुरंत इस घटना की जानकारी शगर मिल के अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही मिल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तत्काल मिल के चिकित्सकों को बुलाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच कर युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद पूरे मामले की सूचना स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम स्मृति मिश्रा, क्षेत्राधिकारी



अभय पांडे, कोतवाली प्रभारी मुदुल कुमार, तहसीलदार धनराज सिंह सहित अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने गेस्ट हाउस के कमरे का निरीक्षण किया और घटनास्थल की बारीकी से जांच शुरू कर दी। इसके साथ ही फोल्ड यूनिट को भी बुलाया गया, जिसने कमरे से आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर जांच की प्रक्रिया प्रारंभ की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, इसलिए हर पहलू से जांच की जा रही है। युवक के कमरे, गेस्ट हाउस के रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और

फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों की जीएसटी चोरी

चार आरोपी पुलिस गिरफ्त में

शाह टाइम्स संवाददाता

शेरकोटा। प्रदेश में टैक्स चोरी रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत राज्य कर विभाग और पुलिस की संयुक्त जांच में करोड़ों रुपये की जीएसटी टैक्स चोरी के मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा। जबकि दो अन्य आरोपी फरार बताये जाते हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार डिप्टी कमिश्नर और राज्य कर अधिकारी खंड धामपुर संदीप कुमार वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने कुल छह मुकदमे दर्ज कर मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर की अगुवाई में विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया। जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपियों ने



फर्जी व्यापार स्थल दिखाकर बिना वास्तविक माल की लेन-देन के बोगस बिल बनवाए और अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पास-ऑन करके सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। साथ ही यह भी सामने आया कि ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर और मजदूर वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर उनसे आधार कार्ड,

गई और लगभग 22 लाख रुपये की फर्जी ITC पास-ऑन की गई। अन्य फर्जी फर्मों के जरिए कई स्तरों पर बोगस बिलिंग कर कुल लगभग 2.24 करोड़ रुपये की GST चोरी का पता चला। बताया जाता है कि 21 जनवरी 2026 को क्राइम ब्रांच व थाना शेरकोटा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इस मामले के चार मुख्य आरोपी इंद्रजीत, जीशान, मोहम्मद अजमल और वसीम निवासीगण उधम सिंह नगर, उत्तराखंड को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने संगठित तरीके से फर्जी GST फर्मों का नेटवर्क चलाया और बोगस बिल एवं ई-वे बिल बनाकर केवल कागजों पर माल की आवाजवाही दिखाई। पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपियों को खोज जारी है और सभी संबंधित मामलों में जांच प्रक्रिया जारी है।

मालगाड़ी का इंजन फेल, कई ट्रेने प्रभावित

वंदे भारत धामपुर रेलवे स्टेशन पर एक घंटे खड़ी रही, यात्री परेशान

शाह टाइम्स संवाददाता

धामपुर। देहरादून से लखनऊ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस को धामपुर रेलवे स्टेशन पर करीब सवा घंटे तक खड़ा रहना पड़ा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह स्थिति सरकड़ा चक्राजमल रेलवे स्टेशन के पास एमटीएस की एक मालगाड़ी का इंजन फेल हो जाने के कारण उत्पन्न हुई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकड़ा चक्राजमल रेलवे स्टेशन के समीप मालगाड़ी का इंजन अचानक खराब हो गया, जिसके चलते चक्रा. जमल से पीछे नागीना, नजीबाबाद और हरिद्वार रोड की ओर से आने-जाने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया। चूंकि उक्त रेलखंड सिंगल लाइन है, इसलिए इंजन फेल होने के कारण ट्रेनों का संचालन पूरी तरह प्रभावित हो गया। इसी क्रम में देहरादून से चलकर नजीबाबाद होते हुए



मुरादाबाद के लिए जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका धामपुर रेलवे स्टेशन पर कोई निर्धारित ठहराव नहीं है, उसे भी एहतियातन धामपुर स्टेशन पर रोकना पड़ा। ट्रेन के रुकने से यात्रियों में असमंजस और नाराजगी देखी गई। यात्रियों का कहना था कि उन्हें समय पर कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई, जिससे परेशानी और बढ़ गई। धामपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद

दैनिक यात्रियों ने बताया कि वे काफी देर से ट्रेन के रवाना होने का इंतजार कर रहे थे। कानपुर जाने वाले एक यात्री ने बताया कि वह दोपहर करीब साढ़े तीन बजे से स्टेशन पर खड़ा है और ट्रेन के लंबे समय तक खड़े रहने से उसकी आगे की यात्रा प्रभावित हो रही है। रेलवे स्टेशनों के अनुसार मालगाड़ी के इंजन के फेल होने की सूचना मिलते ही वैकल्पिक पावर

(इंजन) पीछे से मंगाया गया। इंजन बदलने और लाइन क्लियर होने की प्रक्रिया में समय लगने के कारण वंदे भारत सहित अन्य ट्रेनों को रोकने खना पड़ा। जैसे ही सरकड़ा चक्राजमल रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी में नया इंजन लगाया गया और मार्ग सुरक्षित हुआ, उसके बाद धामपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया गया।

एक नजर

घायल की उपचार के दौरान मौत

शेरकोटा। थाना क्षेत्र के ग्राम शहाजदपुर निवासी सद्दाम (18 वर्ष) पुत्र हारुन अपने दोस्त समीर पुत्र लड़्डन व शब्बू पुत्र अकील के साथ धामपुर स्थित एक कॉलेज से बाइक द्वारा गांव वापस लौट रहा था। ग्राम वाजिदपुर के निकट अनियंत्रित हुई बाइक सड़क पर फिसल गई, जिससे तीनों छात्र घायल हो गये। घायल छात्रों को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए धामपुर अस्पताल ले जाया गया। सद्दाम की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे इलाज के लिए मुरादाबाद रैफर कर दिया गया। लेकिन वहां इलाज के दौरान सद्दाम की मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक 5 बहनों का इकलौता भाई था और कक्षा 12 में अध्ययनरत था।



महामंत्री चंद्रपाल ने इस्तीफा सौंपा

अफजलगढ़। थाना क्षेत्र के गांव कादराबाद निवासी शिव सेना यूबीटी के महामंत्री चंद्रपाल सिंह ने संगठन में चल रही अंतरकलह व आपसी खींचतान के चलते अपना त्याग पत्र जिला अध्यक्ष चौधरी संजय राणा को सौंप दिया। हालांकि उन्होंने इस्तीफे में अंतरकलह के साथ अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला भी दिया। चंद्रपाल सिंह के अनुसार वह करीब दो वर्ष से शिव सेना यूबीटी में महामंत्री पद पर तैनात थे। वहीं अचानक उनके इस्तीफे से शिव सेना कार्यकर्ताओं उथल पुथल मच गई। इस संबंध में जिला अध्यक्ष चौधरी संजय राणा का कहना है उनका संगठन में जिला महामंत्री पद के प्रति निष्क्रियता के चलते इस्तीफा स्वीकार किया गया है।

अवैध रूप से बनी दुकानों पर नोटिस चस्पा



रेहड़। क्षेत्र के गांव मोहिउद्दीनपुर में ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी दो दुकानों पर लेखपाल ने नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में 15 दिन के भीतर स्वयं अवैध कब्जा हटाने अन्याया की स्थिति में कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। लेखपाल जितेंद्र शर्मा ने बताया कि गांव मोहिउद्दीनपुर निवासी ईलमचंद पुत्र कएलू सिंह ने 12 जनवरी 26 को तहसील दिवस में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि गांव मोहिउद्दीनपुर में खाता संख्या 129, खसरा नंबर 117, रकबा 0.1260 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में बंजर दर्ज है। इस 0.1260 हेक्टेयर भूमि में से 0.0200 हेक्टेयर भूमि पर गांव निवासी खलील ने अवैध कब्जा कर दो दुकानों का निर्माण कर लिया था। 18 जनवरी 23 को भूमि प्रबंध समिति के सचिव/लेखपाल ने तहसीलदार न्यायिक धामपुर के न्यायालय में उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत खलील को विरुद्ध एक वाद दायर किया था, जिसकी सुनवाई के उपरांत 17 जून 25 को तहसीलदार न्यायिक धामपुर ने खलील से 27600 रुपए क्षतिपूर्ति व राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल का एक दिन का वेतन 2590 रुपए व 1450 रुपए निष्पादन शुल्क वसूल किए जाने के साथ ही उसकी भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया था परंतु शिकायतकर्ता ईलमचंद का आरोप है कि अब तक उचित कार्यवाही नहीं हुई। लेखपाल जितेंद्र शर्मा ने बताया कि अब ईलमचंद द्वारा तहसील दिवस में की गई शिकायत पर ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से बनी दुकानों पर नोटिस चस्पा किया गया है।

एसआईआर फार्म छः के लिए किया जागरूक



फितपुर। विधायक मनोज पारस द्वारा आयोजित एसआईआर फार्म छः के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम बुधवार की दोपहर मुअज्जमपुर रोड स्थित विधायक मनोज पारस के कार्यालय पर आयोजित किया गया। जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ सपा नेता सैयद एजाज हुसैन ने कि व संचालन विधान सभा क्षेत्र अध्यक्ष शेख मोहम्मद जाहिर हुसैन ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सपा जिला अध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन व डॉ. रमेश तोमर रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एसआईआर के प्रथम चरण में जो जोश आप लोगों ने दिखाया, वह काबिले तारीफ है। दूसरा चरण शुरू हो चुका है, इसमें अपने वोट बनवाने में कोई कोर कर बाकी नहीं रहने दी जाएगी। पिछले चरण में विधायक मनोज पारस के विधानसभा क्षेत्र नगीना में पूरे जिले में सबसे अच्छा कार्य किया है। विधायक मनोज पारस ने कहा कि एसआईआर लागू कर के सरकार ने अच्छा काम किया है। इस कार्य से लोगों ने अपने वोट व दस्तावेज मुकम्मल कर लिए हैं। चेंयरमैन अब्दुल मन्तान ने कहा कि फार्म नम्बर छः परने में यदि कोई दिक्कत किसी को आ रही हो तो वह गांव में ग्राम प्रधान से तथा शहर में सभासद से, चेंयरमैन से व विधायक से सम्पर्क कर सकता है। इससे पूर्व सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में अनेक सपा नेता ग्राम प्रधान सभासद व आम लोगों ने भी भाग लिया।

एनएचएआई और वन विभाग विवाद

डीएम ने दिए जांच के आदेश

शाह टाइम्स ब्यूरो
बिजनौर। मेरठ-पौड़ी नेशनल हाईवे निर्माण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों और वन विभाग की टीम के बीच हुई मारपीट का मामला अब गरमा गया है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जांच के लिए एक उच्च स्तरीय संयुक्त टीम का गठन किया है।

प्राप्त समाचार के अनुसार बीती 20 जनवरी को मेरठ-पौड़ी हाईवे पर गांव जीवनपुरी के पास आशंकित वन क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहा था। आरोप है कि एनएचएआई के कर्मचारी जेसीबी के जरिए पेड़ों की जड़ें उखाड़ रहे थे। सूचना मिलने पर वन विभाग के एसडीओ ज्ञान सिंह, वन क्षेत्राधिकारी महेश चंद्र गौतम और वन दरोगा योगेंद्र कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान वन विभाग की टीम और एनएचएआई के इंजीनियर अनूप सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। वन विभाग की टीम ने इंजीनियर को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में तनाव व्याप्त हो गया। घटना के बाद दोनों

ओर से थाना शहर कोतवाली में तहरीर दी गई थी। मामला शासन स्तर तक पहुंचने के बाद डीएम जसजीत कौर ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए अपर जिलाधिकारी और एसएसपी सिटी की एक संयुक्त टीम गठित की है। डीएम ने कहा कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जांच टीम की रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना के बाद से हाईवे निर्माण कार्य और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब सभी की नज़रें जांच टीम की रिपोर्ट पर टिकी हैं।

उधर वन विभाग के अधिकारियों ने भी अपना पक्ष सामने रखा है। इसके मुताबिक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर के उप प्रभागीय वनाधिकारी ज्ञान सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी महेश चंद्र गौतम, वन दरोगा योगेंद्र अन्य वन कर्मियों के द्वारा नेशनल हाईवे के निर्माण परियोजना को अनुमति की शर्तों के अनुपालन की जांच व परीक्षण का कार्य किया जा रहा था। जांच के दौरान वन कर्मियों द्वारा

जीवनपुरी के निकट राज्य पशु बारहसिंगा अभ्यारण्य के अंतर्गत एक व्यक्ति अनुप पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम कसेरी, थाना कासगंज अपने अन्य साथियों के साथ सेंचुरी क्षेत्र से जेसीबी की सहायता से वृक्षों को जड़ों से उखाड़कर मिट्टी सहित डंपर में भर रहा था। जैसे ही वनकर्मी उनकी ओर बढ़े, तो जेसीबी चालक व उसके अन्य साथी मौके से फरार हो गए। अनूप से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि वह एनएच के एसडीओ आशीष शर्मा के कहने पर चोरी छुपे यह काम कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने फोन पर आशीष शर्मा व एनएच के अन्य कर्मियों से बात की, तो उनके द्वारा वन कर्मियों के लिए गाली गलौच का प्रयोग किया गया व मौके पर अज्ञात 20-25 लोगों को बुलाकर बलपूर्वक राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर कब्जे में लिया गया डम्पर व अन्य वन उपज व माल लेकर जबरदस्ती वहां से फरार हो गए। वन कर्मियों द्वारा अनुप पुत्र प्रेमपाल को पकड़ लिया गया तथा अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 व वन संरक्षण अधिनियम

1980 एवं जैव विविधता अधिनियम 2002 की सुसंगत धाराओं में वन अपराध दर्ज किया गया है। अभियुक्तों द्वारा सरकारी कार्य कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों के ऊपर जानलेवा हमला, मारपीट, बलपूर्वक संरक्षित क्षेत्र सेंचुरी से प्रतिबंधित प्रजाति के वृक्षों का अवैध पतन व जड़ खुदान कर वन उपज का अवैध अभिवहन कर ले जा रहे मय वन उपज प्रकाप्ट लड़े ट्रक व ड्राइवर को वन कर्मियों से मारपीट पतन व जड़ खुदान कर वन उपज का अवैध वन विभाग भारत सरकार कि वन अनापत्ति व वन्य जीव क्लियरन्स कि शर्तों का उलंघन करके वन विभाग के हिरासत व कब्जे से वन अपराध में प्रयुक्त डम्पर व ड्राइवर छुड़ा ले जाना व शासकीय कार्यों में बाधा पहुंचाने का गंभीर अपराध किया गया है। प्रकरण में विभागीय रेंज वन अपराध संख्या 72/बिजनोर/2025-26 भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं जैव विविधता अधिनियम 2002 की सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है।

जानलेवा हमले के चार आरोपी गिरफ्तार , हथियार बरामद



शाह टाइम्स संवाददाता
स्योहारा। क्षेत्र में जानलेवा हमले के एक गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।

02 जनवरी 2026 को वादी धर्मपाल सिंह पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम मुक्करपुरी ने थाने में एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि ग्राम मुक्करपुरी निवासी कलुआ पुत्र सतवीर सिंह, विजय पुत्र धूम सिंह, विप्राश पुत्र बिजयपाल एवं भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह ने वादी व उसके परिजनो के साथ गाली गलौच करते हुए धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में वादी के भाई व भतीजे को गंभीर चोटें आईं तथा जान से मारने की धमकी भी दी गई। तहरीर के आधार पर मुकदमा 333

बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मंडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले में धारा 118 (1) बीएनएस की बढोतरी की गई। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी एवं क्षेत्राधिकारी धामपुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए चारों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद डंडा तथा एक लोहे की नुकीली पत्ती बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार, उप निरीक्षक राजेश कुमार, उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार सरित, प्रवेश कुमार, मनोज कुमार मौजूद रहे।

एक नजर

नर्सिंग होम के बाहर खड़ी बाइक चोरी

चांदपुर। मौहल्ला पतियापाड़ा निवासी मोहम्मद अजीम पुत्र शमशाद अहमद ने पुलिस को दिये प्रार्थना पत्र में कहा कि वह 20 जनवरी की रात्रि अपनी पत्नी को डिलीवरी हेतु कफोल नर्सिंग होम में भर्ती कराने आया था। वहां पर डॉक्टर द्वारा उसकी पत्नी को रुकने को कहे जाने पर वह वहीं रुक गया और अपनी बाइक यूपी20बी2274 नर्सिंग होम के बाहर ही खड़ी कर दी। सुबह सवेरे जब उसने बाहर आकर देखा तो उसकी बाइक वहां से गायब थी। पीडित ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बाइक बरामद करने की गुहार लगाई है।

शेरबाज पठान ने किया उद्घाटन



चांदपुर। चेयरपर्सन पति शेरबाज पठान ने मौहल्ला कोटला स्थित अलदुबई फैमिली रेस्टोरेंट का फीता काटकर उद्घाटन किया। रेस्टोरेंट स्वामी नसीम अहमद ने कहा कि उनके इस रेस्टोरेंट में चिकन के शौकीनों को बेहत. रीन स्वाद में दुबई जायका मिलेगा। इस मौके पर वार्ड सभासद शारिक हाशमी, वसीम अहमद, शानु अहमद, नसीमुद्दीन मनिहार, नेता मोहम्मद नासिर मलिक, अफजाल ठेकेदार, शोख तेहम्मज आफ्रि ने भी शिरकत की।

गन्ने के खेतों में लगी आग



नहटौर। ब्लॉक क्षेत्र के गांव सेठी निवासी रूपे सिंह आदि किसानों के गन्ने के खेतों में शाम आग लग गई। बताया जाता है कि गन्ने की छिललाई के बाद एक खेत में पत्ती फूंकते समय आग खड़ी हुए गन्ने की ओर चली गई, जिससे आग फैल गई। कई किसानों के खेतों तक आग पहुंच गई। मौके पर पहुंचे किसानों ने कड़ी मेशकत के बाद आग पर काबू पाया।

सड़क सुरक्षा पर व्याख्यान

बिजनौर। रानी भागवती देवी महिला महाविद्यालय में प्राचार्या डॉ. मंजू चौधरी के मार्गदर्शन में सड़क सुरक्षा क्लब द्वारा ट्रेफिक रूल और युवा की जिम्मेदारी विषय पर अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। जिसमें एआरटीओ उपस्थित रहे। उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए नागरिकों की जिम्मेदारी, प्रशासन द्वारा बनाए गए नियम व उनकी जिम्मेदारी व आज के युवा वर्ग की जिम्मेदारी पर बात की। उन्होंने रोड पर होने वाली दुर्घटनाओं के कारणों पर चर्चा की। उन्होंने यह वीर योजना बारे में भी बताया जिसमें सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट में मदद करने पर आम नागरिक को किसी भी प्रकार को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसे सरकार द्वारा 25000 रुपए की इनाम धनराशि भी दी जाएगी। उन्होंने गांव और शहरों पर मिलने वाली पगड़ियों और हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट के ऊपर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कभी भी नशा करके वाहन नहीं चलाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक रूल का पालन सभी नागरिकों को करना चाहिए। जिससे वह स्वयं की तथा अपने सामने आने वाले व्यक्ति, दोनों की जान बचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मानव जीवन बहुत ही कीमती होता है। जिसकी कद्र सभी को करनी चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में सड़क सुरक्षा क्लब की समन्वयक श्रीमती शिखा मालवीय, सड़क सुरक्षा क्लब के सदस्य डॉ. दयावती उपाध्याय, श्रीमती आराधना दीक्षित, कुमारी मीनू उपस्थित रही। हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. शारदा द्विवेदी व होम साइंस विभाग से श्रीमती पुष्पा कुमार और डॉक्टर मीनू सिरोही कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रही। इसके अतिरिक्त होम साइंस विभाग से लैब असिस्टेंट श्रीमती इंदु शर्मा, माधव का कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग रहा।

नाम परिवर्तन सूचना

मैंने अपना नाम MUNTAZIR से बदलकर MUNTAJIR S/o MOHAMMAD YUSUF निवासी ग्राम एवं पोस्ट भागुवाला, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर, पिन कोड– 246749 रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए।

सम्बंध विच्छेद सूचना

मेरा पुत्र गुरबहार अहमद गलत संगत में पड़कर बिगड़ गया है। वह नशे को आदी हो गया है। लोगों से उधार कर्ज लेकर वापस नहीं लाता है, जो मुझे लौटाने पड़ते हैं। वह अब साउथ अफ्रीका चला गया है और आसपास के जो लड़के साउथ अफ्रीका में हैं, उनसे भी उधार ले रहा है। अब उनके परिवार के लोग पुलिस के माध्यम से रुपयों की वसूली के लिए मुझ पर दबिश दे रहे हैं। मैं एक वृद्ध व बीमार व्यक्ति हूँ और मैंने अपने पुत्र को हरकतों से ताना आकर उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है और उससे सम्बंध विच्छेद कर दिया है। उसके किसी भी कृत्य व लेनदेन से मेरा कोई मतलब वास्ता नहीं है। **जफर अली पुत्र मौ. सहीक, ग्राम टांडा माईदास, थाना नगीना देहात (बिजनौर)**

नाम परिवर्तन सूचना

मैंने अपनी नाम SHIVAM PAWAR से बदलकर SHUBHAM कर लिया है। भविष्य में मुझे SHUBHAM के नाम से जाना व पहचाना जाए। शुभम पुत्र कमल पवार मौहल्ला पूर्वी तकीयागढ़ी, कस्बा नहटौर, बिजनौर

REQUIREMENT

St. Mary's School

Bhikkawala P.O, Afzalgarh, (Bijnor)
Email- stmarybhikkawala@gmail.com
Interview for Teaching Staff on 31/01/2026 at 10.am.
All Subjects
CTET/TET is Compulsory.

संबंध विच्छेद सूचना

हम अपनी पुत्री काजल को गलत व्यवहार के कारण अपनी समस्त चल-अचल संपत्ति से बेदखल करते हुए संबंध विच्छेद करते हैं। काजल का हमसे व हमारे परिवार से कोई मतलब वास्ता नहीं है। **बीना देवी पत्नी महीपाल सिंह निवासी ग्राम करीमपुर मुबारक, थाना नहटौर, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर**

एक नजर

हत्यारोपी शीतल गिरफ्तार



चांदपुर। वादी बिपेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र राघेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नकुटआ पोस्ट निरहथा थाना लालगंज जनपद राबरेली द्वारा चांदपुर थाना हाजरि होकर तहरीर दी कि एक महिला शीतल पुत्री अज्ञात निवासी हापुड़ व अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पैसे के लेनदेन को लेकर वादी के चचेरे भाई हरिओम सिंह पुत्र भोला सिंह की हत्या कर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी महिला शीतल (25 वर्ष) पुत्री शिवचरन निवासी मौहल्ला अम्बेडकर नगर नई मण्डी मुरादपुर रोड थाना कोतवाली देहात जनपद हापुड़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ में शीतल ने बताया कि वह सीएसओ है तथा मृतक हरिओम सिंह के साथ लगभग डेढ़ वर्ष से चांदपुर में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दिसम्बर 2025 में वह गर्भवती हुई थी। उपचार के दौरान उसका मिसकैरेंज हो गया था, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था। 15 जनवरी 2026 को मृतक द्वारा गाली गलौच व मारपीट किये जाने पर वह अपने घर हापुड़ चली गई थी। 18 जनवरी 2026 को वह पुनः चांदपुर लौटी तो उसने फिर अपनी विवाद होने की बात कही। इसी दौरान मृतक हरिओम ने बिजली के केबिल से पछे पर फांसी लगाने का प्रयास किया, जिस पर शीतल ने जान से मारने की नियत से उसके पैरों में लाल मार दी, जिससे वह फंदे पर लटक गया। कुछ समय बाद आरोपी शीतल ने उसको फंदे से उतारकर परिजनों/मित्रों को सूचना दी तथा अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

चोरी की शराब के साथ दो को पकड़ा

बिजनौर। शहर कोतवाली पुलिस ने शराब कारोबारी केशव दुबे पुत्र रत्नाकर दुबे के यहां से शराब की चोरी करने के मामले में काशीराम कॉलोनी निवासी अंशपाल उर्फ काकू पुत्र पप्पू पाल एवं झालू के मौहल्ला चौधरियान निवासी अजय पुत्र अमर सिंह को गिरफ्तार किया है।

शासन तक पहुंचा बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव

स्योहारा। नगर के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक और सकारात्मक पहल सामने आई है। वर्षों से लौकित बस स्टैंड, सक्जी-फल मंडी, अंडरग्राउंड पार्किंग एवं आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण का प्रस्ताव अब शासन स्तर तक पहुंच गया है, जिससे नगरवासियों में नई उम्मीद जगी है। इस महत्वपूर्ण पहल के पीछे नगर पालिका चेयरमैन फैसल वारसी की सक्रियता, दूरदर्शिता और निरंतर प्रयास अहम माने जा रहे हैं। नगर के समग्र विकास को लेकर गंभीर चेयरमैन फैसल वारसी द्वारा लगातार शासन-प्रशासन के समक्ष प्रस्ताव रखे जाते रहे हैं ताकि स्योहारा की जनता को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा सके और नगर प्रदेश में एक आदर्श नगर के रूप में पहचान बना सके। इसी क्रम में नगीना लोकसभा से सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर मुरादाबाद रोड स्थित प्रस्तावित सरकारी भूमि पर शीघ्र निर्णय और कार्रवाई की मांग की है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि लगभग 5 बीघा भूमि बस स्टैंड तथा करीब 12 बीघा भूमि सक्जी-फल मंडी, अंडग्राउंड पार्किंग एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए पूर्व में ही जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों को प्रस्तावित की जा चुकी है। पत्र में यह भी चिंता जताई गई है कि प्रस्तावित भूमि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जे के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे जनहित की इस महत्वपूर्ण योजना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। सांसद ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि समय रहते भूमि को कब्जामुक्त कराया जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद या कानून-व्यवस्था की समस्या न खड़ी हो। नगर पालिका चेयरमैन फैसल वारसी ने इस पहल का स्वागत करते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद का आधार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शीघ्र ही इस प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा और स्योहारा नगर विकास की नई दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।



कार्यक्रम अधिकारी महोदय जलौलपुर के आदेशों के अनुपालन में ग्राम पंचायत सक्तलपुर मिलक में मनरेगा/ रास्यवित्त / केन्द्रवित्त आयिषरण योजना की धराराशि से ग्राम पंचायत सक्तलपुर मिलक में मन रेड से रूप सिंह के घर तक तथा सुरेन्द्र के घर से शीशराम के घर तक सीसी एवं नाली निर्माण कार्य एवं जाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, बालुएत, ईट, सीमेंट, कोरसेन्ड, सरिया, रोड़ी, डस्ट आदि की आपूर्ति वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कार्यस्थल पर करने हेतु पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों से निविदाएं दिनांक 02/02/2026 तक समय पूर्वाह्न 1 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन सायं 3 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय पर खोली जाएगी। निविदादाता का व्यापार कर / आयकर में पंजीकरण होना आवश्यक है। निविदा पत्र प्र निर्धारित शुल्क देकर दिनांक 30/01/2026 तक प्राप्त किये जा सकते हैं। सम्बंधित कार्य के लिए सामग्री आपूर्ति की निविदा बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। निविदा की शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में पंचायत कार्यालय से की जा सकती है।

कार्यालय ग्राम पंचायत सक्तलपुर मिलक, विकासखण्ड जलौलपुर, बिजनौर	
पत्रांक-मीमो / पंचायत/मनरेगा/2025-2026	
अल्पकालीक निविदा सूचना	
कार्यक्रम अधिकारी महोदय जलौलपुर के आदेशों के अनुपालन में ग्राम पंचायत सक्तलपुर मिलक में मनरेगा/ रास्यवित्त / केन्द्रवित्त आयिषरण योजना की धराराशि से ग्राम पंचायत सक्तलपुर मिलक में मन रेड से रूप सिंह के घर तक तथा सुरेन्द्र के घर से शीशराम के घर तक सीसी एवं नाली निर्माण कार्य एवं जाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, बालुएत, ईट, सीमेंट, कोरसेन्ड, सरिया, रोड़ी, डस्ट आदि की आपूर्ति वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कार्यस्थल पर करने हेतु पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों से निविदाएं दिनांक 02/02/2026 तक समय पूर्वाह्न 1 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन सायं 3 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय पर खोली जाएगी। निविदादाता का व्यापार कर / आयकर में पंजीकरण होना आवश्यक है। निविदा पत्र प्र निर्धारित शुल्क देकर दिनांक 30/01/2026 तक प्राप्त किये जा सकते हैं। सम्बंधित कार्य के लिए सामग्री आपूर्ति की निविदा बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। निविदा की शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में पंचायत कार्यालय से की जा सकती है।	
ग्राम प्रधान	ग्राम पंचायत सचिव

नजीबाबाद में खुलेआम अवैध खनन जारी

डीएम को सौंपा गया ज्ञापन

शाह टाइम्स ब्यूरो

बिजनौर। नजीबाबाद तहसील क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन खुलेआम जारी है। हेरानों की बात यह है कि डीएम द्वारा जेसीबी से खनन पर रोक के स्पष्ट आदेश जारी किए जाने के बावजूद पोकलेंड और जेसीबी जैसी भारी मशीनों से लगातार मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह पूरा अवैध कारोबार स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है। खनन माफिया बेखौफ होकर दिन-रात मिट्टी का खनन कर रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंद बैठे हैं। हाईवे के किनारे बड़े पैमाने पर



कॉलोनिनों के लिए भराव किया जा रहा है। निर्माणों की अनदेखी के साथ-साथ सड़क सुरक्षा और पर्यावरण को भी गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि भारी वाहनों की आवाजाही से सड़कों की हालत बद् से बदतर होती जा रही है। दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आसपास के खेतों, आबादी व

जलस्तर पर भी इसका गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसके बावजूद संबंधित विभागों द्वारा अब तक कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। अवैध खनन को लेकर भारतीय किसान यूनियन (प्रधान) द्वारा आज डीएम जसजीत कौर को ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण से अवगत कराया गया। ज्ञापन में अवैध खनन

पारदर्शिता के साथ तैयार करें लिस्ट: डीएम

निष्पक्ष नामावली से मजबूत होगी देश की लोकतांत्रिक प्रणाली

शाह टाइम्स ब्यूरो

बिजनौर। जिलाधिकारी श्रीमती जसजीत कौर की अध्यक्षता में कलकट्टे सभागार में एसआईआर के संबंध में बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी श्रीमती कौर ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली के अंतर्गत वर्तमान में महत्वपूर्ण प्रक्रिया संचा. लित है। उन्होंने कहा कि नामावलियों जितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ बनाई जाएंगी, उतना ही प्रभाव देश की लोकतांत्रिक प्रणाली पर पड़ेगा। उन्होंने सभी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों सुपरवाइजर एवं बीएलओ को निर्देशित किया कि विशेष प्रगाढ़



पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली के अंतर्गत 6 जनवरी से 6 फरवरी, 2026 तक दावे और आपत्तियों का कार्य पूर्ण निष्पक्षता पारदर्शिता और दक्षता के साथ संपन्न कराएँ तथा कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने से वंचित न रहे और ना ही कोई अपात्र व्यक्ति निर्वाचन नामावलियों में अपना नाम शामिल कराने में सफल हो सके। उन्होंने निर्देश दिए की दावे और आपत्तियों के कार्य के अलावा विशेष रूप से फॉर्म 6 बनवाने पर विशेष

ध्यान आकर्षित किया जाए और 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला कोई भी युवा एवं युवती अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करने से वंचित न रहने पाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रपत्र 6 भरने के लिए मतदाता का वैरिफिकेशन और मैपिंग का कार्य पूरी सावधानी से करें।

उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि मतदाता जागरूकता के लिए रैलियों का

कार्यालय नगर पालिका परिषद, चांदपुर (बिजनौर)

पत्रांक: 943/न.पा.परि. चांदपुर/नि.सू./2026

दिनांक:- 21 जनवरी, 2026

निविदा सूचना (द्वारा ई-टेण्डर)

समस्त ठेकेदारों/ फर्मों को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद चांदपुर द्वारा 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 8/807/320 (6)/15वां वि.आ./2025-26 दिनांक 18 नवम्बर, 2025 (बुनियादी अनुदान प्रथम क्रिशत) एवं राज्य वित्त आयोग/ बोर्ड फण्ड के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से 33 निर्माण के कार्यों को कराने हेतु दिनांक 22.01.2026 से समय प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 11.02.2026 समय 06:00 बजे सायं तक www.etender.up.nic.in पर निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा अभिलेख एवं शर्तें वेबसाईट www.etender.up.nic.in पर दिनांक 22.01.2026 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 11. 02.2026 तक सायं 06-00 बजे तक उपलब्ध रहेंगे, जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। सभी निविदादाता दिनांक 11.02. 2026 को सायं 06-00 बजे तक वेबसाईट www.etender.up.nic.in पर ऑनलाईन अपनी निविदा दर/दरें डाल सकते हैं।

निविदाओं को दिनांक 12.02.2026 को समय 11:00 बजे दिन को खोला जायेगा।

Tender Refrance Number	
Publish Date and time for RFP	22.01.2026 को प्रातः 10:00 बजे
Last Date and time for submission of E-Tender	11.02.2026 को सायं 06:00 बजे तक
Date and time of Opening Tender	12.02.2026 को प्रातः 11:00 बजे से
Place of Opening E-Tender	Executive Officer Nagar Palika Parishad Chandpur (Bijnor)
E-Tender Security	10% of Tender Value
E-Tender document processing	As per tender list
नोट:- (1) निविदाकर्ता को निविदा के साथ प्रत्येक कार्य के सापेक्ष पृथक-पृथक 10 प्रतिशत धरोहर राशि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ. डी.आर./एन.एस.सी./डाकघर की बचत पासबुक अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, चांदपुर के नाम बंधक करारकर निविदा के साथ मूल प्रति से स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है अथवा नगर पालिका परिषद, चांदपुर के भारतीय स्टेट बैंक शाखा चांदपुर में खाता संख्या 38989775664 (IFSC Code SBIN0001599) में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भी जमा कर सकते है।	
(कु. सलमा नूर हमीदी)	(अजय कुमार)
लेखकार, अके.	अवर अभियन्ता (सिविल)
	अधिशासी अधिकारी /ज्वाइंट मजिस्ट्रेट
	अध्यक्ष

शंकराचार्य विशाखा देवी पत्नी थामरा सहित निवासि सांग्राम इलाक्यात थाना नहरतीने अगिला कुछ दिवस ते अग्नी देवी के चार लोहा सांग्राम साराग में रहे रहती थीं। आरोग्य है कि १९ जनवरी २०२६ को शाम लोहासांग्राम बांचे वजे उनके शरीर के जेठ बाबू पुत्र रामसुखरूप थाना उनके पुत्र अंकित, दीपक और अभिषेक पुत्र रसुखरूपपुत्र के अनेक सायागुली-लोलुप करते हुए मारपीट की आरोग्य द्वारा जांच में मारने की धमकी की दी। पंडितता को आरोग्य है कि निवारण के दौरान उसके सोके के कुंडल भी मायाब हो गए। इस मामले में थानाप्रश्नक वॉरेंट कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे मामले की जांच की जा रही है। जांच पूर्ण होने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जातिवाद छोड़कर हिंदू हों एकजुट: अनिल

शाह टाइम्स ब्यूरो

सम्भल। आरएसएस के शताब्दी पूर्ण होने पर आयोजित किए गए हिंदू महा सम्मेलन में हिंदुओं को एकजुट रहने की अपील करते हुए धोखेबाजों से सचेत रहने तथा भारतीय संस्कृति को बनाए रखने की अपील की गई। आश्रम के महंत श्रीधराजी गिरी महाराज तथा मेरठ प्रांत के मुख्य संघ प्रचारक ने अपने विचार प्रस्तुत किए गए।

कैलादेवी धाम पर बुधवार को आयोजित किए गए हिंदू महासम्मेलन सम्मेलन में मेरठ प्रांत के संघ प्रचारक मुख्य वक्ता अनिल व आश्रम के महंत श्रीधराजी गिरी महाराज ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मेरठ संघ प्रचारक मुख्य वक्ता अनिल ने कहा कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार करते हुए सभी को एकजुट रहना होगा। जहां उन्होंने सभी आपसी जातियों को छोड़कर हिंदू होते हुए एकजुट रहने की अपील की। आश्रम के महंत अंतर्राष्ट्रीय हरिहर सेना के संरक्षक श्रीधराजी गिरी महाराज ने कहा कि सम्भल में जहां हिंदुओं की संख्या 15 प्रतिशत रह गई है, वहीं मंदिर बनने के बाद हम 85 प्रतिशत होंगे। उन्होंने कहा कि सभी हिंदू समाज ऐसे धोखेबाजों से दूर रहें जिन्होंने हमारे अस्तित्व

0आरएसएस के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर हिंदू सम्मेलन का कैलादेवी धाम पर हुआ आयोजन

0सामान खरीदने से पूर्व उसमें गड़बड़ी की जांच करने पर जोर

0अस्तित्व मिटाने वाले धोखेबाजों से दूर रहने का आह्वान

को मिटाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के शताब्दी पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज यह महासम्मेलन हिंदुओं को एकजुट करने की लिए एकत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे धोखेबाजों से हम कोई भी सामान खरीदने से पहले यह भी निश्चित करने की कहीं उसने कुछ उसमें भी तो गड़बड़ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आप सभी अपनी बहन बेटियों को भी संस्कार देते हुए ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए प्रेरित करें साथ ही उन्हें अपने दिल से निकाल दें और सभी हिंदू एक जुट रहें। कार्यक्रम के दौरान छोट-छोटे बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम

प्रस्तुत किए। सम्मेलन में जनपद के अलावा अन्य जनपदों से भी हिंदू संगठन के लोग एकत्रित हुए तथा जनपद के भी दर्जनों गांव से लोग एकत्रित हुए। जिसमें विभाग के संघ चालक अरविंद अरोड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह रिंजू, विभाग प्रचारक शरद कुमार, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह खड्गवंशी, ब्लॉक प्रमुख पति हर्देश यादव, भाजपा नेता राजेश सिंघल एवं एमएलसी परमेश्वर लाल सैनी, भुवनेश आदि उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम का संचालन नेकपाल सिंह तथा अध्यक्षता गोकुल वाल्मीकि ने की।

जिले के प्रभारी मंत्री प्रशिक्षण में होंगे शामिल

बबराला। नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति बगीचा वॉकट हाल में चल रहे नागरिक सुरक्षा नरीरा के सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज सम्मिलित होकर वार्डन/स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे।

बाल विवाह रोकने को न झुकने वाली उपासना की गई सम्मानित

0निजि कार्यालय पर खोली पीडीए पाठशाला

शाह टाइम्स,ब्यूरो

सम्भल। बाल विवाह को टुकड़ाकर इसे रोकने के लिए स्तम्भ बनी बालिका को बाल अपराध गोष्ठी में सम्मानित किया गया।

बहजोई स्थित पुलिस लाइन सभागार में बुधवार को बाल अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में परिवार के दबाव के बावजूद बाल विवाह को टुकड़ाकर इसे रोकने के लिए अपनी आवाज को मजबूती से उठाते वाली उपासना को क्षेत्राधिकारी यातायात दीपक तिवारी ने सम्मानित किया।प्रयत्न संस्था जस्ट राइट्स फॉर विल्डन की सहयोगी द्वारा चलाए जा रहे बाल विवाह विरोधी अभियान से प्रेरित होकर उपासना ने यह साहसिक कदम उठाया। संस्था के प्रभारी गौरीशंकर चौधरी ने इस मामले को जिला प्रोबेशन अधिकारी चंद्रभूषण के समक्ष रखा और उपासना को समाज के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने को कहा। बता दें कि उपासना के परिजनों ने उसके बाल विवाह न करने के फैसले पर फिलहाल उसके साथ संबंध तोड़ दिए हैं, लेकिन उपासना ने अपनी

सम्भल-बाल विवाह का विरोध करने वाली उपासना को सम्मानित करते।

शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए इस दबाव को झुकने नहीं दिया। यह देश में ऐसा पहला मामला बताया जा रहा है जहां बेटी की इतनी मजबूत इच्छाशक्ति के कारण परिवार ने संबंध तोड़े, फिर भी उसने बाल विवाह स्वीकार नहीं किया। क्षेत्राधिकारी दीपक तिवारी ने उपासना को इस बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी बेटियाँ समाज में परिवर्तन की मशाल हैं। प्रयत्न संस्था और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयासों से उपासना जैसी लड़कियाँ आगे आ रही हैं, जो बाल विवाह जैसी कुरीति को जड़ से खत्म करने में मदद करेंगी। जबकि प्रयत्न

खाद्य सुरक्षा पंजीकरण के बिन संचालित होटल बंद कराया

शाह टाइम्स ब्यूरो

सम्भल। खाद्य सुरक्षा विभाग के प्रवर्तन दल द्वारा जनपद के खाद्य प्रतिष्ठानों के किए जा रहे नियमित निरीक्षण में मांस दुकानों का निरीक्षण दो प्रतिष्ठानों को तत्काल बंद कराया गया।

जिलाधिकारी डा. राजेन्द्र पैसिया के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग के प्रवर्तन दल द्वारा बहजोई स्थित मीट दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 'कादरी चिकन शाँप' एवं 'आजवाद चिकन शीप' में साफ सफाई मानक के अनुसार ना पाए जाने एवं संचालन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006, नियम व विनियम-2011 की अनुसूची-4 में निहित प्राविधानों के अनुसार नहीं पाया गया। जिन्हें

0डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन दल ने किया निरीक्षण

नोटिस निर्गत किया गया। इसके अलावा 'नौशाद पुत्र निजामुद्दीन' एवं 'शमा ए करीम होटल' बहजोई द्वारा मौके पर 'खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रवर्तन दल ने दोनों प्रतिष्ठान का संचालन तत्काल बंद कराया कराया।एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। टीम में मानवेंद्र सिंह सहायक आयुक्त खाद्य और नेतृत्व में राजीव कुमार, राजेश कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।

आत्म रक्षा के लिए प्रशिक्षित की गई छात्रायेँ

शाह टाइम्स,ब्यूरो

सम्भल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आयोजित आत्म रक्षा प्रशिक्षण के तहत छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे कि वह विपरीत परिस्थितियों में विरोधी का डटकर मुकाबला कर सकें। चर्चीता के सरोजिनी नायडू, नेहरू कॉपीज तथा विनोबा भावे जूनियर हाई स्कूल की छात्राओं को प्रशिक्षक सुरेश कुमार व पूर्वी, शिवानी, संतराम व ब्रिजेश ने छात्राओं को पट्ट किक, बैसिक किक, फेंस पंच की ट्रेनिंग दी, सुरेश कुमार ने बताया कि छात्राएँ पहले दिन से ही आत्मरक्षा सीखने में कहीं रुचि ले रही हैं।स जिला प्रोबेशन अधिकारी चन्द्र भूषण ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिले के जूनियर हाई स्कूल व कस्तुरबा गांधी बालिका

सम्भल- आत्म रक्षा के गुरु सीखती छात्रायेँ

विद्यालयों में बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा स आज से छात्राओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ सरकार और महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के हितार्थ यथा मुख्यमंत्री कन्या सुपंगला योजना,



सम्भल- कैलादेवी धाम पर हिंदू सम्मेलन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देती बच्चियाँ, सम्मेलन में मौजूद लोग वक्ताओं के विचारों को सुनते।



कर कोर्रर समीक्षा बैठक में की गई चर्चा

शाह टाइम्स ब्यूरो

सम्भल। कर कोर्रर/न्यायालय राजस्व, चकबंदी वाद एवं चकबंदी विभाग के कार्यों की समीक्षा आदि राजस्व संबंधी सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा एवं प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

कलकट्टे सभागार में आयोजित बैठक में सीएम डैशबोर्ड पर स्टाम्प निबंधन, आवकारी,वाहन कर वार्तिकी, खनन, जीएनटी, विद्युत आदि के लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्त को लेकर जानकारी ली। जबकि व्यापार कर की आर सी वसुली, स्टाम्प देय,खनन आदि की आरसी वसुली को लेकर जानकारी लेकर संबंधित को आवश्यक

दिशा-निर्देश दिए। अपर जिलाधि कारी ने कम आर सी वसुली को लेकर नाराजगी व्यक्त की एवं निर्देशित करते हुए कहा कि शत प्रतिशत आरसी वसुली का कार्य किया जाए। अपर जिलाधिकारी ने एमओयू भूनिर्धारण, जीबीसी, डिजिट शक्ति, मंडी आय औषधि विक्रय लाइसेंस, अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, पीएम स्वनिधि योजना, सम्पत्ति नामांतरण, ट्रेड सर्टिफिकेट जारी करना, इ- खसरा, एंटी भूमाफिया, कुरा बटवारा, नामांतरण (धारा-116), पैमाइश (धारा 24) को लेकर चर्चा की की तथा सम्बंधी तों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

ब्लैक आउट से डरें नहीं जागरूकता के लिए हो रहा मॉक ड्रिल

शाह टाइम्स ब्यूरो

सम्भल। हवाई हमले से क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, आवास, सड़क तथा जनपद वासियों को सुरक्षित रखने एवं उनके स्थानों की विद्युत (विजली) बन्द रखना प्रकाश प्रतिबन्ध (ब्लैक आउट) मॉक ड्रिल आयोजित किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश दिवस 2026 पर 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर सार्य 06:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार, बहजोई में ब्लैक आउट मॉक ड्रिल आयोजित की जायेगी, जिसमें बचाव सम्बन्ध ी आपात कालीन विधियों का अभ्यास/प्रदर्शन होगा। इसलिए आस-पास के सम्पत्त प्रतिष्ठान तथा

कार्यालय एवं क्षेत्र की जनता से अपील है कि दिनांक 23 जनवरी, 2026 को सार्य 06:00 बजे अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों की लाइटों एवं

0नेता जी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को बिलें में होगा मॉक ड्रिल

इन्वर्टर को पूर्ण रूप से बन्द कर दें, जिससे बाहर प्रकाश दिखाई ना दें। नीतू रानी प्रभारी उप निर्यंत्रक, नागरिक सुरक्षा ने बताया कि ब्लैक आउट में सभी लाइटों को बन्द कर दें। सायरन बजने पर शांतिपूर्वक अपने घरों/सुरक्षित स्थान पर रहें। बाहर कोई माचिस, लाइट व टॉच एवं मोबाईल का प्रयोग न करें।जबकि

यदि कहीं पर कोई लाईट निकल रही हो तो वहाँ पर काला कागज चिपकायें। घर से कोई भी लाईट बाहर न निकलने पाये। ध्यान न चले, भागें नहीं एवं धूम्रपान न करें। उन्होंने बताया कि यह केवल एक मॉक ड्रिल है जो जागरूकता फैलाने के लिए की जा रही है।जिससे सहयोग देते हुए भविष्य में हवाई हमले (ड्रड्र) जैसी विषम परिस्थितियों में होने वाले ब्लैक आउट के प्रति जागरूक रहें। इसके अलावा हवाई हमले का रेड सिग्नल 02 मिन्ट तक ऊँची-नीची आवाज में सायरन बजाया जाता है तथा खतरा उत्पने की सूचना 02 मिन्ट तक सायरन को एक ही आवाज में बजाकर दी जाती है।

बेहतर सुविधा को प्रदेश में शुरू की गई बेंड एंड क्रॉस फास्ट नीति

शाह टाइम्स,ब्यूरो

सम्भल। उत्तर प्रदेश बेंड एंड क्रॉसफास्ट (बी एण्ड बी) एवं होमस्टे नीति के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। कलकट्टे सभागार में आयोजित बैठक में जिला पर्यटन अधिकारी प्रदीप टट्टा द्वारा ने होम स्टेट नीति के बारे में जिलाधिकारी को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय एवं सुरक्षात्मक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएँ जाएँ, सेवा मानकों में सुधार और आवास विकल्पों में वृद्धि कर पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने, राज्य की अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ आय और रोजगार को एक अवसर उत्पन्न किए जाने के उद्देश्य से उ.प्र. शासन द्वारा उत्तर प्रदेश बेंड एण्ड क्रॉसफास्ट बी एण्ड बी) एवं होमस्टे नीति-2025 जारी की गई है।उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्थापित अनुमत्य होमस्टे एवं बी एण्ड बी इकाइयों को इस नीति में नियमानुसार संचालन किये जाने की व्यवस्था का सलीकरण किये जाने के लिए होमस्टे एवं बी एण्ड बी नीति-2025 तैयार की गई है तथा इसके साथ साथ एच होमस्टे एवं बी एण्ड बी इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन एवं अनुनय की व्यवस्था है।

हिंसा के मास्टर माइंड शारिक साठा की करोड़ों की सम्पत्ति कुर्क

शाह टाइम्स ब्यूरो

सम्भल। विगत वर्ष हिंसा के मास्टर माइंड होने के आरोपी की पुलिस ने डुगडुगी बजाकर सम्पत्ति की कुर्क कर लिया। इस दौरान एएसपी और भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

विगत वर्ष 24 नवम्बर 24 को शाही जामा मस्जिद का दूसरी बार सुबह सवेरे वकील कमिश्नर के मौका मुआयना करने के दौरान हिंसा भड़क गयी थी। हिंसा में गोलिबारी और पथराव व आगजनी से हालात काफी संवेदनशील हो गए थे। जबकि गोलियों लगने से पांच की मौत हो गयी थी। कई घायल हुए थे। इनमें कुछ पुलिस कर्मी भी चोटिल हुए थे। हिंसा के जांच के दौरान नुबई में बैठे शारिक साठा हिंसा का मास्टर माइंड होना सामने आया था। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्वाँ ने बताया कि हिंसा के मास्टरमाइंड शारिका साठा 2020 में फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके दुबई भाग गया था। उस व्यक्ति की कई रायों की पुलिस को तलाश है, उसके खिलाफ

0बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद

अलग-अलग रायों में 69 कैस दर्ज हैं। वह 24 नवंबर को हुई संभल हिंसा का मास्टरमाइंड हैं। उसकी गिरफ्तारी के काफी प्रयास किए गए लेकिन पुलिस उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इसलिए न्यायालय से दो मामलों में इसके खिलाफ कुर्की की कार्यवाही के लिए आग्रह किया गया था। अखलात के आदेश पर शारिक साठा के विरुद्ध उसकी सम्पत्तियों को कुर्क करने की कार्यवाही की गई। शारिक साठा जिस मकान में अपनी पत्नी के साथ रहता था उसे कुर्क किया गया है, बाकी जहां इसके रिश्तेदार रह रहे हैं उन भागों को छोड़ दिया गया है और अब इसके खिलाफ पर्मानेंट वारंट जारी हो गया है। कुर्की की कार्यवाही के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक समेत सी ओ असमाली और भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

एक नजर इधर भी



बबराला-आग से बचाव का प्रशिक्षण देते।

आग से बचाव का दिया प्रशिक्षण

बबराला। भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित नागरिक सुरक्षा कोर नरीरा के वार्डन और स्वयं सेवकों का सात दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के तीसरे- दिन अग्नि शमन अधिकारी शतन पटेल द्वारा प्रशिक्षण ले रहे वार्डन को अग्नि के बारे में बताया गया कि आग चार की होती है। ए टाइप, जैसे ठोस पदार्थों, लकड़ी, कागज, और कपड़े बी टाइप जलन शील तरल पदार्थ पेट्रोल, डीजल, और पेंट सी टाइप अति जलन शील पदार्थ जैसे ब्यूटन और मीथेन से लगने वाली आग डी टाइप दहन शील बाहुओं जैसे मेगनीशियम, एल्यूमीनियम और पोटेशियम से लगने वाली आग के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी। फायर स्टेशन के प्रभारी द्वारा गैस सिलेंडर से लगने वाली आग का प्रैक्टिकल करने सभी प्रशिक्षण ले रहे वार्डन को आग बुझाना सीखाया गया। चीफ वार्डन योगेन्द्र सिंह यादव द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर उप निर्यंत्रक अनुधा सिंह ने सभी को अनुस्मन के साथ प्रशिक्षण सही प्रकार से प्राप्त करने को प्रेरित किया। इस अवसर पर देवदत्त, अनिल जिंदे, शर्मा, सोमवीर सिंह, प्रेम गनी, सुखवीर सिंह रहे।

भाकियू असली का 17वें दिन भी जारी रहा धरना

सम्भल (शाह टाइम्स,ब्यूरो)। भारतीय किसान यूनियन असली अराजनैतिक का धरना आन्दोलन 17 वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर पंचायत में बोलते हुए राष्ट्रीय प्रमुख सचिव श्रीधर सिंह यादव ने कहा कि 31 जनवरी को होने वाली राष्ट्रीय महारंचायत में आन्दोलन का स्वरूप बदला जायेगा। जन समस्याओं के प्रति जो अधि कारी व कर्मचारी संवेदनशील नहीं है उनका खुलकर विरोध किया जायेगा। आवावा गोंवरा पर बोलते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में भी गाय सुरक्षित नहीं है।

रेलयात्री कृपया ध्यान दें

महत्वपूर्ण जानकारी

दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली के बीच विशेष रेलगाड़ी का संचालन

रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन के लिए उत्तर रेलवे द्वारा दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली के बीच एक विशेष रेलगाड़ी संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

04024/04023 दिल्ली जं.-वाराणसी-दिल्ली जं. सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस (4 फेरे)					
रेलगाड़ी सं. 04024	प्रस्थान	स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 04023	आगमन	प्रस्थान
---	19:25	दिल्ली जं.	08:50	---	---
20:08	20:10	गाजियाबाद	08:00	08:02	---
22:30	22:38	गुराबाबाद	05:17	05:25	---
03:30	03:40	लखनऊ	00:20	00:30	---
04:55	04:57	रायबरेली जं.	21:58	22:00	---
06:35	06:40	मौ बेल्ख देवी घाट प्रतापगढ़	20:20	20:25	---
09:40	---	वाराणसी	---	18:35	---

चलने के दिन: 04024 दिल्ली जं. से दिनांक 23.01.2026 एवं 25.01.2026 को और 04023 वाराणसी से दिनांक 24.01.2026 एवं 26.01.2026 को।

स्थान : 2 टियर साता., 3 टियर साता., शयनयान एवं सामान यं।

रेलगाड़ी संख्या 04081/04082 नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में मौजूदा समय-सारणी, उद्घाटन एवं स्थान के साथ विस्तार					
रेलगाड़ी संख्या	स्टेशन से	स्टेशन तक	प्रोबंसी	अतिरिक्त फेरे की तिथि	फेरे
04081	नई दिल्ली	श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा	प्रतिदिन	23.01.26 से 26.01.26	04
04082	श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा	नई दिल्ली		24.01.26 से 27.01.26	04

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 डायल करें अथवा रेलवे पृष्ठताछ वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in देखें।

रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139

रेलमदद वेबसाइट देखें:- www.railmadad.indianrailways.gov.in

रेलमदद ऐप डाउनलोड करें

22/26

पर हमें फॉलो करें

उत्तर रेलवे
सबसे आपसी रेली में
www.northernrailways.gov.in

आहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

सम्बंध-विच्छेद

मेने व मेरे परिवार ने अपने पुत्र मी. सलीम व उसकी पत्नी तरनुम को उनके गलत आचरण व गलत कृत्यों के कारण पूरी तरह दिनांक 21.01.26 से सम्बंध विच्छेद कर अपनी चल व अचल सम्पत्ति से वेदखल कर दिया है। अब वह अपने सम्पत्त कृत्यों, क्रियाकलापों के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। उनके किसी कृत्य का मेरे व मेरे परिवार से कोई ताल्लुक बसता नहीं होगा।

वाजिद हुसैन पुत्र अब्दुल खालिक नि. मी. दीपा सरय धाना नखसा जनपद सम्भल।

ई-कचरा गलाने वाले कारखाने और भट्टियों पर प्रशासन का छापा, आठ कारखाने सील



मुरादाबाद। जनपद में अवैध रूप से ई-कचरा गलाकर प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मुगलपुरा क्षेत्र के बरबालान इलाके में संचालित ई-कचरा गलाने वाली फैक्ट्रियों पर सिटी मजिस्ट्रेट विनय पांडे के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें आठ अवैध कारखानों को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई में एसिस्टेंट कमिश्नर राज्य कर विभाग और प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अवर अधिकारी सहित

संयुक्त टीम शामिल रही। छापेमारी के दौरान जब फैक्ट्री संचालकों से लाइसेंस और आवश्यक अनुमति पत्र मांगे गए तो कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके बाद टीम ने तत्काल प्रभाव से फैक्ट्रियों को सील करने की कार्रवाई की। गौरतलब है कि मुरादाबाद में लंबे समय से बड़े पैमाने पर ई-कचरा जलाने का अवैध कारोबार चल रहा है। देहात क्षेत्र, मुगलपुरा, नागफनी और मझोला के जन्त बाग जैसे इलाकों में शाम होते ही अवैध

भट्टियां जल उठती हैं, जिससे जहरीला धुआं फैलता है। इससे आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिटी मजिस्ट्रेट विनय पांडे ने बताया कि ऐसी अवैध भट्टियों और इकाइयों को चिन्हित करने का अभियान लगातार जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी प्रशासन की कार्रवाई जारी रहेगी।

ऊर्जा संरक्षण के लिए जागरूकता रैली और बौद्धिक संगोष्ठी का आयोजन

कांठ (शाह टाइम्स)। महर्षि दयानन्द इंटर कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना के सात दिवसीय विशेष शिविर के आज छठे दिन छात्र इकाई के स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम अधिकारी पदम सिंह के दिशा निर्देशन में ग्राम मोहोदी हजरतपुर तथा छात्रा इकाई की स्वयंसेविकाओं ने कार्यक्रम अधिकारी ऊषा सिंह के दिशा निर्देशन में ग्राम गुलडिया में ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में जागरूकता रैली का आयोजन किया तथा घर-घर जाकर ऊर्जा संरक्षण के बारे में लोगों को जानकारी दी। इसके पश्चात दिन के दूसरे सत्र में बौद्धिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।



जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सचिन रस्तोगी (एसडीओ) विद्युत विभाग) द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण के साथ हुआ। छात्र-छात्राओं ने राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य गीत के साथ-साथ ऊर्जा संरक्षण पर अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बौद्धिक संगोष्ठी में सचिन रस्तोगी

अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य मदन सिंह, एसडीओ सचिन रस्तोगी राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्र एवं छात्रा इकाई के कार्यक्रम अधिकारी पदम सिंह, ऊषा सिंह, निशिकांत पाठक, अतवीर सिंह त्यागी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयंसेवक उपस्थित रहे। संचालन कक्षा 12 की छात्रा आयुषी बिश्नोई, मानवी बिश्नोई, चार्वी चौहान, भूमिका चौहान ने किया।

एक नजर

नारी सशक्तिकरण व बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ टॉपिक पर राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत विस्तार से बताया गया

कुंदरकी। बुधवार को मदन स्वरूप इंटर कॉलेज हरियाणा में नारी सशक्तिकरण एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टॉपिक पर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक सेविकाओं को वीरपाल सिंह द्वारा विस्तार से बताया गया। इसमें बताया कि बेटीयों का समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है तथा जो लोग भ्रूण हत्या आदि तथा सिंह ने बताया कि नारियों को सभी सरकारी योजनाओं में आरक्षण सरकार द्वारा दिया गया तथा और अन्य योजनाओं के बारे में भी बताया और यह भी बताया कि यह 22 जनवरी 2015 से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी द्वारा इसे हरियाणा प्रांत से लागू किया गया तथा इसमें बताया कि लिंगानुपात में भी अंतर है और भी अन्य बातें विस्तार से बताए तथा हमारे प्रधानाचार्य रहे हैं।

अजय प्रकाश शर्मा जी ने भी कुछ नारी सशक्तिकरण के बारे में बताया इसमें सुमन कुमारी सुमन सरिता कुमारी सरिता गुलाम आफरीन अतुल कुमार आदि स्वयं सेवक सेविकाओं ने भी अपने विचार रखे तथा श्री आनंद कुमार डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह अमित कुमार श्री राहुल सिंह बारगर्वर सिंह आदि का सहयोग रहा तथा कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी श्याम वीर सिंह द्वारा किया गया।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत में डिजिटल लिटरेसी विषय पर जनप्रतिनिधियों के दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया



पूँढापांडे। ब्लॉक मूँढापांडे के सभागार में ग्राम पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के डिजिटल लिटरेसी विषय पर आयोजित किए गए दो दिवसीय प्रशिक्षण के प्रथम दिवस प्रशिक्षण का शुभारंभ खंड विकास अधिकारी अशोक कुमार एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत देवश कन्हैया के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया प्रशिक्षण में जनप्रतिनिधियों को मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट एवं विभागीय पोर्टल से संबंधित जानकारी दी गई उन्होंने डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित उपयोग कैसे किया जाए इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई प्रशिक्षण में सीनियर फैंकलटी डॉ नवनीत शेखर, प्रशिक्षक शिवानी राजपूत, सुमन, अमित कुमार के द्वारा सत्र लिए गए प्रशिक्षण में साइबर स्कैम, सोशल मीडिया उपयोग विभागीय पोर्टल आदि विषयों पर जानकारी दी गई।

अनिल कुमार यादव का प्राथमिक विद्यालय माननगर में गुलाब के पौधे भेंट कर किया स्वागत



कांठ(शाह टाइम्स) सहयोगात्मक सुपरविजन के लिए माननगर स्कूल में पहुंचे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ता अनिल यादव का स्कूल की प्रधानाध्यापिका और बच्चों ने गुलाब के पौधे भेंट कर स्वागत किया। अनिल यादव ने स्कूल की सुंदर व आकर्षक भौतिक परिवेश की प्रशंसा की और कहा कि यहां के बच्चों का अनुशासन और वेशभूषा से वह प्रभावित हुए हैं। इको क्लब के अंतर्गत विद्यालय में बनी आरोग्य वाटिका की भी उन्होंने तारीफ की और कहा कि उन्हें भी पेड़ पौधों से काफी लगाव है। प्रधानाध्यापिका भुवनेश्वरी कुमारी ने विद्यालय की अमृत वाटिका से गुलाब के पौधे डायट प्रवक्ता अनिल यादव को भेंट किए। उन्होंने भुवनेश्वरी कुमारी प्रधानाध्यापिका का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि इस स्कूल के बच्चों का अनुशासन किसी भी प्राइवेट स्कूल के अनुशासन एवं मान्यदर्जों से कम नहीं है।

स्वदेशी संकल्प आत्मनिर्भरता के अवसर पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता

कांठ (शाह टाइम्स) हार्वर्ड कान्वेंट स्कूल गढ़ी में आज स्वदेशी संकल्प आत्मनिर्भरता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने पोस्टर मेकिंग विषय कंपटीशन पर लेखन जैसी अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। विद्यालय प्रबंधक दीपेश सिंह एवं प्रधानाचार्य रेनु बिश्नोई ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें अपने देश के प्रति अपनी स्वदेशी भावनाओं को निरंतर बनाए रखना चाहिए स्वदेशी पोस्टर मेकिंग की भावनाओं से हमें प्रेरित होकर अपने देश का कर्तव्य निष्ठ ईमानदार एवं कर्तव्य पराण नागरिक बनना चाहिए। इसके साथ ही हमें देश के हित में बनाए जाने वाली टेक्नोलॉजी का सदुपयोग भी देश हित में करना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक एवं अन्य स्टाफ मौजूद रहे।

कार्यालय ग्राम पंचायत सिरसवा हरचन्द विकास खण्ड-भगतपुर टाण्डा (मुरादाबाद)।

क्र. सं.	कार्य तथा स्थल का नाम	कार्य की लो. सी. में	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	निविदा मूल्य	जमान भराति	कार्य की काली की अवधि
1	वृजनन्दन शर्मा के घर से निवाह टंडा तक नाली व टाइल्स निर्माण कार्य।	90 मी०	320334.42	100	2%	2 माह
2	अनिल के घर से नामे अली के घर तक नाली व टाइल्स निर्माण कार्य।	102 मी०	346103.33	100	2%	2 माह
3	प्राथमिक स्कूल से रामपुरसे के घर तक नाली व टाइल्स निर्माण कार्य।	50 मी०	171741.16	100	2%	2 माह
4	जगदीश की जगह से सोमपाल के घर तक नाली व टाइल्स निर्माण कार्य।	30 मी०	156876.72	100	2%	2 माह

प्रतिबंध/शर्तः:- 1. उपरोक्त कार्य के लिए पंजीकृत फर्म जी.एस.टी. नम्बर सहित निविदा प्रेष देय होगा। 2. इस निविदा को बिना बताये पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास होगा, सरकारी या अर्पण निविदा किसी भी पक्ष में मन्थ नहीं होगी।

सचिव/ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सिरसवा हरचन्द विकास खण्ड भगतपुर टाण्डा, मुरादाबाद

एसआईआर का नोटिस तामील कराने को बीएलओ ने किया ढाई सौ किलोमीटर का सफर

कांठ(शाह टाइम्स) कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करने की चाहत जिसमें होती है वह बड़ी से बड़ी बधाओं को भी पार



करते हुए अपने काम को अंजाम देते हैं। ऐसा ही एक मामला आज सामने आया बृथ संख्या 64 के बीएलओ मास्टर अकरम अली को करीब तीन दर्जन नोटिस मतदाताओं को दिए जाने के लिए प्राप्त हुए। बाकी नोटिस तो

उन्होंने देर रात को ही बांट दिए लेकिन एक नोटिस फरजाना पत्नी समीर अहमद को उनके बाहर रहने पर वह नहीं दे पाए। बताया गया कि

फरजाना का पति समीर अहमद पिलखुआ में रहकर मजदूरी कर रहा है। बीएलओ ने समीर का पता निकाला और अपनी निजी व्यवस्था करते हुए उसे नोटिस तामील कराने के लिए पिलखुआ पहुंच गए उन्होंने समीर को नोटिस तामील कराया और बताया कि 27

जनवरी को नायब तहसीलदार की कोर्ट में आकर वह इस संबंध में अपनी आपत्ति और दावा प्रस्तुत कर सकता है। जिसने भी बीएलओ को इस भावना को देखा वह आश्चर्य चकित रह गया।

अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस में टीएमयू फार्मेसी कॉलेज के दो छात्रों ने पुरस्कार जीते

मुरादाबाद। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के टीएमयू कॉलेज ऑफ फार्मेसी कॉलेज के स्टुडेंट्स रोशनी कुमारी ने दो दिनी अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस फार्मा-इनोवेट समिट-2025 में बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटर का खिताब जीता, जबकि संदेश सराफ ने ओरल प्रेजेंटेशन में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। ये अवॉर्ड ग्लोबोटिया के फार्मेसी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. विक्रम शर्मा ने दिए। रोशनी कुमारी ने सिजीजियम क्यूमिनी (जामुन) के बीजों की मधुमेह-रोधी गतिविधि विषय पर उत्कृष्ट शोध पोस्टर की प्रस्तुति दी। संदेश ने ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रबंधन के लिए प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का औषधीय मूल्यांकन: प्राचीन ज्ञान से आधुनिक कार्यप्रणालियों तक के लिए ओरल प्रेजेंटेशन दिया। ग्लोबोटिया यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस का मुख्य विषय

फ्रॉम मॉलीक्यूल टू मेडिसिन: ड्रग डवलपमेंट, ड्रग डिलीवरी एंड लाइसेंसिंग थेरेपीज था। कांफ्रेंस में फार्मेसी कॉलेज के 22 स्टुडेंट्स ने प्रतिभाग किया। अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस में सात देशों के प्रमुख शोधकर्ताओं ने विशेष व्याख्यान, पोस्टर प्रस्तुति, ओरल प्रेजेंटेशन आदि के जरिए आधुनिक फार्मास्यूटिकल रिसर्च के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। इस सम्मेलन में स्टुडेंट्स ने ज्ञान कि कैसे शैक्षिक संस्थान, फार्मा उद्योग और नियामक संस्थाएं मिलकर वैज्ञानिक खोजों को जीवनरक्षक उपचारों में तेजी और प्रभावशीलता के साथ परिवर्तित करती हैं। प्रतिभागियों ने बेस्ट प्रेजेंटेशन का आदान-प्रदान के संग-संग दवा विकास और डिलीवरी के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के स्कैलेबल, वैज्ञानिक और व्यावहारिक समाधान पहचाने। इस बहुआयामी अनुभव ने छात्रों में



● तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के टीएमयू कॉलेज ऑफ फार्मेसी कॉलेज के बीफार्म के दो स्टुडेंट्स- रोशनी कुमारी ने सिजीजियम क्यूमिनी (जामुन) के बीजों की मधुमेह-रोधी गतिविधि विषय पर उत्कृष्ट शोध पोस्टर की दी प्रस्तुति, तो संदेश सराफ ने ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रबंधन के लिए प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का औषधीय मूल्यांकन पर दिया ओरल प्रेजेंटेशन वैज्ञानिक-दृष्टिकोण, शोध क्षमता और नवाचार को समझ को और अधिक सशक्त किया। टीएमयू की

पुण्यतिथि पर धर्मशाला में कमरा निर्माण को दिए 3 लाख

कांठ (शाह टाइम्स)। वैश्य बिश्नोई सभा कांठ के अध्यक्ष अनिल कुमार बिश्नोई की धर्मपत्नी उर्मिला देवी का पिछले वर्ष निधन हो गया था आज उनकी पहली बरसी पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों लोगों ने उर्मिला देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अनिल कुमार ने धर्मशाला में कमरा निर्माण हेतु 3 लाख की नगद राशि कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार बिश्नोई को सौंपी।



उन्होंने कहा कि ऐसे अवसर पर सामाजिक कार्यों में खर्च किए जाने वाले धन से दूसरे लोगों को भी लाभ पहुंचता है। इस मौके पर

अनिल बिश्नोई के बड़े बेटे डॉ पंकज बिश्नोई (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन), अनुज कुमार बिश्नोई, प्रियंका बिश्नोई, विनीता बिश्नोई, भाजपा के वरिष्ठ नेता

मुकेश माहेश्वरी, वैश्य सभा के अध्यक्ष मोहित माहेश्वरी, नगर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मी.यूसुफ, भाजपा के जिला महामंत्री राजन बिश्नोई, सहकारी गन्नाविकास समिति के अध्यक्ष कुंवर सुरेंद्र सिंह, भारत विकास परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी सुरेश बिश्नोई, व्यापार मंडल के अध्यक्ष निरुपम बिश्नोई, तहसील बार एसोसिएशन के महासचिव एडवोकेट दीपक बिश्नोई, सरदार रविंद्र सिंह गांधी, श्री गुरुद्वारा सिंह सभा के अध्यक्ष सरदार कुलवंत सिंह, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष महेश चंद्र गुप्ता, आनंद कुमार बिश्नोई, विकास शर्मा आदि मौजूद रहे।

दावे और आपत्ति को लेकर आज तहसील में पहुंचे लोग, लगी बड़ी-बड़ी लाइन

कांठ (शाह टाइम्स) एस आई आर में मैपिंग से बाहर हुए लोगों को निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नोटिस थमा दिए गए नोटिस मिलते ही लोगों में हड़कंप मच गया और निश्चित तौर पर आज शुरू हुए दावे और आपत्ति को लेकर लोग अपनी-अपनी आदालतों में पहुंच गए। उप जिला अधिकारी संत दास पवार ने बताया की विधान सभा क्षेत्र में करीब 22 हजार लोगों को नोटिस थमाए गए हैं जिनकी दावे और आपत्ति लेने के लिए 11 एआरओ को तैनात किया गया है चार एआरओ कांठ तहसील और चार को पाकबड़ा जीआईसी कॉलेज में बैठाया गया है। जबकि दो ब्लॉक छजलैट और एक नगर पंचायत अमानानपुर में बैठकर दावे



और आपत्ति लेकर निस्तारण करने का काम करेंगे। आज इस कार्य का पहला दिन था तहसील परिसर में तहसीलदार दो नायब तहसीलदार एक और अन्य चार एआरओ द्वारा

दावे आपत्ति प्राप्त की गई और सही प्रपत्र दिए जाने वालों के नाम मतदाता लिस्ट में जोड़े गए। लेकिन इस काम को कराने आए लोगों की आज भारी भीड़ तहसील में देखी गई।

अपर मंडल रेल प्रबंधक के मार्गदर्शन में हिंदी कार्यशाला का हुआ आयोजन

मुरादाबाद। रेलवे मंडल मुख्यालय मुरादाबाद में राजभाषा हिंदी के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की गई। अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक/परिचालन पारितोष गौतम के मार्गदर्शन में बुधवार को वाणिज्य शाखा तथा कार्मिक शाखा के कर्मचारियों के लिए एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में दोनों शाखाओं के कुल 17 कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यशाला में सहायक कार्मिक अधिकारी सह राजभाषा अधिकारी ज्ञान प्रकाश सिंह चौहान एवं सहायक वाणिज्य प्रबंधक अंकित शर्मा ने कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 तथा भारतीय रेलवे में लागू राजभाषा से संबंधित विभिन्न पुरस्कार योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

वक्ताओं ने राजभाषा हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे कार्यालयीन कार्यों में अधिकाधिक प्रयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वह अपने दैनिक कार्यालयीन कार्य, पत्राचार, नोटशोर्ट एवं अभिलेखों का अधिकतम उपयोग हिंदी में करें, जिससे राजभाषा नीति का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। कार्यशाला के दौरान कर्मचारियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। अंत में सभी प्रतिभागियों ने हिंदी में कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।



एसआईआर को लेकर केसरी कुंज सैक्टर की बैठक हुई आयोजित

मुरादाबाद। भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला के आवाहन पर एसआईआर से संबंधित विषयों को लेकर रामगंगा विहार मंडल के केसरी कुंज सैक्टर की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में राजीव गुप्ता देहात विधानसभा प्रवासी शामिल रहे। मुख्य वक्ता राजीव गुप्ता ने एसआईआर पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में गायब और नये मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने एक विशेष अभियान चलाया है जिसमें पूर्व में 18 जनवरी को अभियान चलाया जिसमें सभी बूथों पर बीएलओ मौजूद रहे।



उन्होंने आगे कहा कि आगे भी 31 जनवरी और 1 फरवरी को सभी बीएलओ अपने अपने बूथ पर मौजूद रहेंगे इसमें वो मतदाता भी अपना दावे आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं जो घर पर अनुपस्थित मिलने पर मतदाता मसौदा सूची से बाहर कर दिये गये। दावे आपत्ति दर्ज करने एवं नये वोट बनवाने का यह हमारे पास सुनहरा और खास अवसर है हमें बिना समय गवाए हुए घर घर संपर्क कर नये वोट और जो वोट नये बनने है उनकी जानकारी लेनी है नए वोट बनवाने के लिए हमें वोटर फॉर्म वितरित कर साथ के साथ फॉर्म भरवाकर बुध पर बीएलओ

को को जमा करने हैं फार्म जमा की रसीद लेनी है ताकि हमारे पास प्रूफ रहे कि बीएलओ को वोटर फार्म जमा कर दिया गया है जो नए वोट हम बनवा रहे है उनकी रजिस्टर में एंट्री करें ताकि जब नई वोटर लिस्ट आए तब हम उन वोटों को ट्रेस कर सकें कि हमारी मेहनत कहां तक सफल हुई है। बैठक में पूर्व महानगर अध्यक्ष धर्मेन्द्र नाथ मिश्रा ने बताया कि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने

वाले युवा भी फार्म 6 भरकर अपना वोट बनवा लें ताकि मार्च माह में आने वाली वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल हो जाये। बैठक में पूर्व महानगर अध्यक्ष धर्मेन्द्र नाथ मिश्रा देहात विधानसभा प्रवासी राजीव गुप्ता मंडल अध्यक्ष विपिन प्रजापति सैक्टर संयोजक विजेंद्र सिंह मंडल महामंत्री मयंक करश्यम मंडल उपाध्यक्ष विजय वर्मा ओ पी चौधरी विशाल अग्रवाल आदि शामिल रहे।

एक नजर

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बालिकाओं को दिया गया प्रशिक्षण

चन्दौसी। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आयोजित आत्म रक्षा प्रशिक्षण के अंतर्गत बुधवार को चन्दौसी के सरोजिनी नायडू, नेहरू कंपोजिट तथा विनोबा भावे जूनियर हाई स्कूल की छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे कि वह विपरीत परिस्थितियों में विरोधी का डटकर मुकाबला कर सकें, प्रशिक्षक सुरेश कुमार व पूर्वी, शिवानी, संत.



राम व ब्रिजेश ने छात्राओं को फ्रंट किक, बैसिक किक, फंस पंच की ट्रेनिंग दी। सुरेश कुमार ने बताया कि छात्राएं पहले दिन से ही आत्मरक्षा सीखने में काफी रुचि ले रही हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी चन्द्रभूषण ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिले के जूनियर हाईस्कूल व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज से छात्राओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ सरकार और महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के हितार्थ यथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन, घरेलू हिंसा, छात्रवृत्ति आदि चलाई जा रही, विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। ताकि बालिक,।ओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी हो सके।

पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में बैठक आयोजित



चन्दौसी। पुलिस परिवार परामर्श सुलह समझौता केंद्र की बैठक चन्दौसी परामर्श केंद्र प्रभारी डॉ0 रकमलाल सिंह की देखरेख में गौशाला रोड पिंग चौकी चन्दौसी में संपन्न हुई जिसमें पति-पत्नी के मध्य हुए आपसी विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने का प्रयास काउं. सलार्न द्वारा किया गया जहां कुल 14 पत्रावली सुनकर 03 पत्रावली का निस्तारण किया गया तथा 01 परिवार को मिलाया गया और 03 पत्रावली पर आवेदक द्वारा बल न देने के कारण व अन्य कारण से बंद की गई। इस अवसर पर कांस्टेबल श्वेता गुप्ता, संगीता भार्गव, पूनम अरोड़ा, सय ईम्पेक्टर महेश गंगवार, हेड कांस्टेबल रुचि आदि लोग उपस्थित रहे।

वार्डन व स्वयंसेवक के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का छठा दिन



मुरादाबाद (शाह टाइम्स ब्यूरो)। एम आई टी संस्थान के सभागार में वार्डन एवं स्वयंसेवक के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे सत्र के छठे दिन प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना से हुई। श्री आर के शर्मा, डिप्टी सी एम ओ ने पहले सेशन में प्यानव शरीर की संरचना आदि के बारे में बताया। श्री सतीश कुमार सहायक उपनियंत्रक (वावे0) ने दूसरे सेशन में सामूहिक दुर्घटना के मामले में ट्राईएज पर चर्चा की। छठे दिन के अंतिम सेशन में सतीश कुमार ने प्राथमिक उपचारकर्ता के कर्तव्य आदि को समझाया। उपनियंत्रक श्री नीरज चक ने सभी वक्ताओं/व्याख्यान विशेषज्ञों का आभार व्यक्त किया। 23 जनवरी को आयोजित ब्लैक आउट मॉकड्रिल के क्रम में अभ्यास किया गया। कार्यक्रम में पंकज सक्सेना डिप्टी चीफ वार्डन, नागरिक सुरक्षा कार्यालय से चमन कुमार शर्मा, तुषार अग्रवाल, मास्टर ट्रेनर अखिल अग्रवाल, विवेक कुमार यादव, डिविजन वार्डन मो खालिद, अशोक कुमार गुप्ता, शरीफ अहमद, वसीम अंशारी, वसीम अख्तर, डॉ शफीक अहमद, अनुज गुप्ता, सुभाष जैन, नरेश शर्मा आदि ने उपस्थित रह कर सहयोग प्रदान किया।

मुरादाबाद में साहित्य, संगीत और रंगमंच का महाकुंभ: सजेगा उदीषा महोत्सव

मुरादाबाद। शहर की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय फलक पर प्रतिष्ठित करने के लिए से 22 से 26 जनवरी 2026 तक मुरादाबाद में एक भव्य साहित्यखसंस्कृति महोत्सव उदीषा का आयोजन किया जा रहा है। पाँच दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में साहित्य, शायरी, संगीत, रंगमंच, सिनेमा, लोकखसंस्कृति और समकालीन सामा. जिक विमर्श से जुड़े देश के प्रतिष्ठित रचनाकार, कलाकार और विचारक सहभागिता करेंगे। बुद्धि विहार के गांधी मैदान में आयोजित हो रहे इस महोत्सव में एक साथ विभिन्न मंचों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संगीत, रंगमंच और स्टार नाट्स से भव्य शुभारंभ महोत्सव की शुरुआत पहले दिन "मुरादाबाद के संगीत घराने" विषयक सत्र से होगी। इस सत्र में उस्ताद गुलाम अब्बास खान और सुनंद शर्मा अपने अनुभव और संगीत की परंपरा साझा करेंगे। इसके बाद अभिनेता आशुतोष राणा रंगमंच और फिल्मों की भाषा-संस्कृति पर संवाद करेंगे। शाम को स्टार नाइट कॉन्सर्ट में प्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह अपने सुरों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। दूसरे दिन 23 जनवरी को सुबह थिएटर सत्र में यथाक्रम समूह प्रस्तुति देंगे। इसके बाद रामलीला और स्टोरी टेलिंग सत्र का आयोजन होगा। दोपहर में "हमारे जौन एलिया" सत्र में मृतजिवि फिरोजवादी अपने विचार साझा करेंगे। इसके बाद "सांस्कृतिक प्रदूषण: समस्या एवं समाधान" विषय पर डॉ. सूर्यमणि रघुवंशी, सुधीर गुप्ता, राजीव चौहान और मीनाक्षी ठाकुर चर्चा करेंगे। फिर मुरादाबाद की गीत यात्रा: विरासत से वर्तमान सत्र में डॉ. प्रभवती उपाध्याय, योगेंद्र वर्मा और मयंक शर्मा शहर की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात वसीम बरेलवी "जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा" सत्र में अपने शेरों और गजलों के माध्यम से जीवन और भावनाओं की गहराई समझाएंगे। आलोकनामा सत्र में आलोक श्रीवास्तव उपस्थित रहेंगे। हिंदू का सितारा: भोजपुरी समाज और संस्कृति सत्र में मनोज तिवारी सर परंपरा की महत्ता को और प्रबल करेंगे। शास्त्रीय गायन सत्र में पं. साजन मिश्र श्रोताओं को संगीत की अनुभवगाथा से रूबरू कराएंगे। वहीं स्टार नाइट में मनोज तिवारी संगीत प्रेमियों को झूमने पर मजबूर करेंगे। तीसरे दिन 24 जनवरी की शुरुआत सुजानामक लेखन सत्र से होगी। इस सत्र में डॉ. मधु पंत और रश्मि मार्गदर्शन करेंगे। इसके बाद रस, रियायत और रसोई सत्र में सदफ हुसैन और ईशान शर्मा श्रोताओं को सांस्कृतिक और साहित्यिक यात्रा पर ले जाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा के दौरान विशेषज्ञ दर्शकों को विचारों और सुझावों से लाभान्वित करेंगे। इसी क्रम में आकाशवाणी और एफएम की बकलीटी दुनिया, मुरादाबाद में उर्दू ग़ज़ल: कल, आज और कल, और डिजिटल युग में बाल साहित्य विषयक सत्र भी आयोजित होंगे। माटी, बोली और मानुष सत्र में कई जनी-मानी हस्तियाँ हिस्सा लेंगी।

सोशल मीडिया और पत्रकारिता पर सत्र में सौरभ द्विवेदी अपने अनुभव साझा करेंगे, जबकि चेतन भगत जेन जी की कहानियों के माध्यम से युवाओं के मन को हलचल को समझाएंगे।

टैकर की टक्कर से दो महिलाओं की मौत, युवक गंभीर रूप से घायल



चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार हैदर अली, गुलिस्ता खातून और गुलफशा खातून हवा में उछलकर दूर जा गिरा। हादसे में तीनों गंभीर घायल हो गए। वहीं, आरोपी चालक कैटर को लेकर भाग निकला। हादसे के मौके पर

देहेज में पांच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता से मारपीट, तीन तलाक देकर घर से निकाला

ठाकूरद्वारा। देहेज लोभी ससुराल वालों ने देहेज में पाँच लाख रुपये की माँग पूरी न होने पर विवाहिता के साथ मारपीट कर तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। किसी तरह वह अपने माता पिता के घर पहुँची। बाद में पुलिस को तहरीर देकर देहेज लोभी ससुरालियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने पति सास ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी।

थाना भोजपुर के गांव बहेड़ी ब्रह्मान निवासी एक विवा. हिता ने अपने पति और ससुराल वालों पर देहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट करने, तीन तलाक देकर घर से निकालने और जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी। पीड़िता के अनुसार, लगभग तीन

वर्ष पूर्व उसकी शादी ठाकूरद्वारा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ख्वाजपुर धनतला निवासी अकबर अली से हुई थी। शादी के समय उसके माता-पिता ने सामर्थ्य के अनुसार घरेलू सामान के साथ वाहन के लिए दो लाख रुपये नकद दिए थे। महिला का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति अकबर अली, ननद, देवर और ससुर दिए गए देहेज से संतुष्ट नहीं थे। वे उसे कम देहेज लाने का ताना देने लगे और आए दिन गाली-गलौज व मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। ससुराल पक्ष लगातार मायके से पाँच लाख रुपये और लाने का दबाव बना रहा था। पीड़िता ने बताया कि उसका पति दूसरी शादी करने की धमकी देता था और उसे घर से निकालने की बात कहता था। ससुराल वालों ने उसे

कई बार घर से निकाल दिया, लेकिन हर बार पंचायत और परि. जनों के हस्तक्षेप से उसे वापस ससुराल भेजा गया। महिला का आरोप है कि जब उसने दोबारा देहेज लाने से इनकार किया तो ससुराल वालों ने लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा। इसके बाद पति अकबर अली ने घर के भीतर तीन बार "तलाक, तलाक, तलाक" कहकर उसे पहने हुए कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया।

आरोप है कि ससुराल वालों ने उसके जेवर भी छीन लिए और चेतावनी दी कि यदि वह दोबारा घर लौटी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। भोजपुर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पति समेत ससुरालीजनों के खिलाफ संबंधित थाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

नगर पालिका परिषद में जनसुनवाई, पालिका अध्यक्ष ने दिए त्वरित समाधान के निर्देश

बिलारी। नगर पालिका परिषद बिलारी के सभागार में पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान नगरवासियों ने अपनी विभिन्न समस्याएँ पालिका अध्यक्ष के समक्ष रखीं, जिन्हें गंभीरता से सुना गया और संबंधित विभागों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में प्रमुख रूप से मकान के नक्शों की स्वीकृति, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित प्रपत्रों, तथा अन्य प्रशासनिक मामलों पर आवेदन प्रस्तुत किए गए। पालिका अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदनों का निस्तारण निधिर्धारित समयसीमा के भीतर पारदर्शी तरीके से

सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा जल निगम द्वारा नगर क्षेत्र में डाली जा रही पाइप लाइनों को लेकर भी चर्चा की गई। इस संबंध में पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिन सड़कों पर पहले पाइप लाइन डाली जा चुकी है, उनकी मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पूरी नहीं हो जाती, तब तक अन्य सड़कों पर नई पाइप लाइन डालने का कार्य शुरू न किया जाए। जनसुनवाई के दौरान सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सड़क मरम्मत सहित नगर की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई और



उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। पालिका अध्यक्ष ने

भरोसा दिलाया कि नगरवासियों की समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी समाधान किया जाएगा। जनसुनवाई

में सभासद ब्रजरतन, सभासद आमिल सिद्दीकी, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष केके गुप्ता, जेई जलकल

गौरव, बड़े बाबू शाहिद, शुभम, मोअज्जम, दीपक इत्यादि लोग उपस्थित रहे।

एसआईआर मामले की सुनवाई, एसडीएम ने दावों व अभिलेखों की गहन समीक्षा की

शाह टाइम्स संवाददाता बिलारी। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के अंतर्गत उपजिलाधिकारी (एसडीएम) बिलारी की न्यायालय में संबंधित मामलों की सुनवाई संपन्न हुई। सुनवाई के दौरान उन मतदाताओं के प्रकरणों पर विचार किया गया, जिनकी एसआईआर प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा में पूर्ण नहीं हो पाने के कारण उन्हें नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाता निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित हुए और उन्होंने अपने-अपने दावे विधिवत रूप से प्रस्तुत किए। इस दौरान मतदाताओं ने वैधता में संबंधित आवश्यक प्रपत्र, पहचान से जुड़े दस्तावेज, निवास प्रमाण तथा अन्य सहायक अभिलेख भी न्यायालय के समक्ष दाखिल किए। न्यायालय में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को क्रमवार जांच की गई और प्रत्येक मामले को अलग-अलग सुना गया। एसडीएम बिलारी ने सभी दावों और प्रस्तुत अभिलेखों का गहन अवलोकन करते हुए उनकी वैधानिकता की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सही रूप से दर्ज किए जा सकें। एसडीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी पात्र मतदाता के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा।

मुरादाबाद में पुलिस पर लूट और अपहरण करने का लगाया आरोप

एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार



पुलिस वालों ने गालियाँ देना शुरू कर दिया और मोबाइल छीन लिया। उन्होंने मेडिकल स्टोर से 1,50,000 रुपये और दिन की बिक्री के 10,000 रुपये लूट लिए और कुछ दवाएँ भी ले गए। पीड़ित के भाई ने विरोध किया तो उसे जबरन कार में बैठाकर अपहरण कर लिया गया।

पीड़ित ने बताया कि उसने पुलिस वालों को 40,000 रुपये देकर

अपने भाई को छुड़ाया। पुलिस वालों ने उसे धमकी दी कि अगर उसने शिकायत की तो उसे मार देंगे। पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस के भाई ने विरोध किया तो उसे जबरन कार में बैठाकर अपहरण कर लिया गया।

पीड़ित ने बताया कि उसने पुलिस वालों को 40,000 रुपये देकर

कार्यालय नगर पंचायत ढकिया-मुरादाबाद

पत्रांक: 464/न0प0ढकिया/2025-26

दिनांक: 21.01.2026

अन्तिम प्रकाशन

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन 1916) की धारा 131 (3) व धारा 298 (1) की सूची 1 के शीर्षक ए/क (भवन) सपटित धारा 294 की शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत ढकिया जनपद- मुरादाबाद के द्वारा अपनी सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि, उनके अनुरक्षण और उनके स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से नगर पंचायत ढकिया मुरादाबाद कार्यालय के पत्र संख्या-128/न0प0 ढकिया-2025-26 दिनांक 15.07. 2025 द्वारा दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं शाह टाइम्स के दिनांक 17 जुलाई, 2025 के अंक में भवन निर्माण के कार्य को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु उपविधि 2025 बनाने हेतु सूचना प्रकाशित करायी गयी थी, जिसके द्वारा प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अंदर सुझाव एवं आपत्ति मांगी गयी थी चूँकि कोई अपत्तिया सुझाव निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नही हुई है उक्त के अनुपालन में अगगत कराना है। बोर्ड बैठक दिनांक-29.12.2025 पंज नम्बर-13, के प्रस्ताव संख्या-02, के द्वारा नगर पंचायत ढकिया की सीमा के अन्दर विज्ञापन/प्रचार किये जाने हेतु उपविधि- 2025, के अन्तिम प्रकाशन किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है, अतएव नगर पंचायत ढकिया जनपद-मुरादाबाद अपनी सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि, उनके अनुरक्षण और उनके स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन 1916 की धारा 131 (3) व धारा 298 (1) की सूची 1 के शीर्षक ए/ क (भवन) सपटित धारा 294 के अधीन निम्नालिखित नियमावली बनती है जो कि प्रकाशन की दिनांक से अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त / प्रभावी होगी।

नगर पंचायत ढकिया, मुरादाबाद में भवन निर्माण के कार्य को विनियमित एवं नियंत्रित करने सम्बन्धी उपविधियाँ-2025

नगर पंचायत ढकिया, जनपद-मुरादाबाद के द्वारा अपनी सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि, उनके अनुरक्षण और उनके स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से संयुक्त प्रांत नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं० प्रा० अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 298 (1) की सूची 1 के शीर्षक ' ए/ 'क' (भवन) सपटित धारा 294 के अधीन निर्मित भवन निर्माण के कार्यों को विनियमित तथा नियंत्रित करने सम्बन्धित निम्न वर्णित उपविधियों को नगर पंचायत ढकिया, के द्वारा धारा 298' 2' नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत लागू किया जाता है, जोकि प्रकाशन की दिनांक से अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवत होगी / प्रभावी होगी ।

उपविधियां

- (1) यह उपविधि नगर पंचायत ढकिया , जनपद मुरादाबाद में“ भवन निर्माण के कार्य को विनियमित तथा नियंत्रित करने सम्बन्धी उपविधि कहलायेगी।
- (2) यह सम्पूर्ण नगर पंचायत ढकिया जनपद मुरादाबाद क्षेत्र में प्रवृत्त होगी।
- (3) यह उपविधि 01 अक्टूबर 2025 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी।
- परिभाषायेँ-** विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली मे-
 - (1) "भवन " का तात्पर्य किसी मकान, उपगृह, असवज, झ़ादक (शेड) ड्रॉपडी या अन्य बाड़ा या ढाचे से है, चाहें वह पक्की ईंट लकड़ी मिट्टी, धातु या चाहें किसी भी अन्य पदार्थ से बना हो, चाहें उसका उपयोग मनुष्यों के रहने के लिये अथवा अन्यथा किया गया हो, और उसके अन्तर्गत कोई बरामदा चबूतरा मकान की कुर्सी, देहली, दीवार जिसमें किसी उद्यान या कृषि भूमि जो किसी भवन से अनुलन ना हो की चारदीवारी से भिन्न किसी अहाते की दीवार सम्मिलित है, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई तन्बू या अन्य कोई ऐसी परिवहनीय अस्थायी आश्रय स्थल नहीं है ।
 - (2) "अधिनियम " से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम-1916 से है ।
 - (3) "उपविधि " का तात्पर्य अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके बनाई गई उपविधि से है।
 - (4) "नक्शा नवीन/मानचित्रकार "का अभिप्राय नगर पंचायत ढकिया के अनुज्ञा/लाईसैन्स प्राप्त मानचित्रकार/नक्शानवीस से है ।
 - (5) "व्यवसायिक निर्माण " से तात्पर्य उस निर्माण से है, जो कि व्यापार, उद्योग आदि के कार्य के लिए निर्मित किया गया हो, जिनमें दुकानें, व्यापारिक गोदाम, बैंक, सिनेमा, थियेटर, स्क्रेटिंग हॉल, बारात घर, नर्सिंग होम, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, क्लब एवं शोरूम आदि हैं।
 - (6) औद्योगिक निर्माण, से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो कि किसी वस्तु,उपकरण,आदि के निर्माण एवं समुच्चयन (assemble) के लिए किया गया हो परन्तु इसमें हलवाई, रेस्टोरेन्ट आदि शामिल नहीं है।
 - (7) "जन उपयोगी सेवा के निर्माण " से तात्पर्य ऐसे निर्माण जो कि जनकल्याण हेतु किये जायें से है, जिसमें धार्मिक स्थल, धर्मशाला, वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, अनाथालय व गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले व्यक्तियों के लिये निर्मित आवास से है।
 - (8) "शासकीय प्रमर्षित " से तात्पर्य उस सम्र्पित से है, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश शासन अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा अपने धन से नगर पंचायत ढकिया की सीमा में किया गया हो, जिसमें अस्पताल, थाना व अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय के भवन से है ,परन्तु केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रम की सम्र्पित शामिल नहीं है।
 - (9) " निवास गृह " से तात्पर्य ऐसे भवनों से है, जिसका उपयोग तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिये अथवा यात्रियों के आवास के लिये निर्मित हो, से है ।
 - (10) "अधिसूचना " से तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है ।
 - (11) "विहित अधिकारी " का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा नियुक्त किया हो । "
 - (12) "नगर पंचायत का अधिकारी " से तात्पर्य नगर पंचायत ढकिया के चेयरपर्सन एवं अधिशासी अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी से है। "

स्पष्टीकरण-ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त है, वही अर्थ होंगे जो नगरपालिका अधिनियम 1916 में उनके लिये दिये गये हैं।

- विभिन्न भवनों के निर्माण के लिये नक्शा/मानचित्र स्वीकृत करने के लिये शुल्क निम्न प्रकार देय होगा-**
 - आवासीय भवन दशा में- आवासीय भवन के निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा -

(क)	50 वर्गमीटर तक	1000/-रू,
(ख)	50 से अधिक और 100 वर्गमीटर तक	2000/-रू,
(ग)	100 से अधिक और 150 वर्गमीटर तक	3000/-रू,
(ङ)	150 से अधिक और 200 वर्गमीटर तक	4000/-रू,
(च)	200 से अधिक और 300 वर्गमीटर तक	5000/-रू,
(छ)	300 वर्गमीटर तक से अधिक अतिरिक्त प्रत्येक 50 वर्गमीटर या उसके भाग के लिये	500/-रू,

(2). व्यवसायिक भवन की दशा में- व्यवसायिक भवन निर्माण दुकानों, व्यापारिक, गोदाम, बैंक, सिनेमा, थियेटर, स्क्रेटिंग हॉल, बारात घर, नर्सिंग होम, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, क्लब एवं शोरूम आदि उपरोक्त प्रकार के भवन) के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा -

(क)	20 वर्गमीटर तक	2000/-रू,,
(ख)	20 वर्गमीटर से अधिक और 50 वर्गमीटर तक	3500/-रू,,
(ग)	प्रत्येक अतिरिक्त 10 वर्गमीटर या उसके भाग तक	1000/-रू,,

- स्पष्टीकरण** - संयुक्त आवासीय तथा व्यवसायिक भवन को व्यवसायिक भवन माना जायेगा।
- औद्योगिक भवन की दशा में- आद्योगिक भवन के निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा -

(क)	150 वर्गमीटर के लिये	4000/-रू,,
(ख)	प्रत्येक अतिरिक्त 100 वर्गमीटर या उसके भाग के लिए	1000/-रू
 - निजी शैक्षिक उपयोग के भवन की दशा में- निजी शैक्षिक, उपयोग के भवन के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मन्जिल आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा -

(क)	100 वर्गमीटर के लिये	1000/-रू.
(ख)	प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिए	500/-रू
 - केवल किसी चाहरदीवारी की दशा में -प्रत्येक प्रकार की किसी भी चाहरदीवार (Boundary Wall) के मानचित्र की स्वीकृति हेतु शुल्क निम्न प्रकार देय होगा-

(क)	प्रथम 100 वर्ग मीटर के लिए	1000/-रू.
(ख)	प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्ग मीटर या उसके भाग के लिये	500/-रू

- परन्तु अग्रेतर यह है, कि किसी भी प्रकार के भवन निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति निम्नवर्णित शर्तों के साथ दी जायेगी -**
 - भूतल सहित तीन मंजिला अथवा 12 मीटर से अधिक ऊंचाई के समस्त भवन/मंजिल, तल अथवा बहुमंजिला भवन भूकम्परोधी तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप निर्मित किया जायेगा। (शासनादेश संख्या-14110/9-2-2001-7(12)/01 न0वि0अनु0-2, दिनांक 30 अगस्त, 2001 के अनुसार)
 - प्रत्येक प्रकार के भवन में एक या अधिक (आवश्यकतानुसार) शौचालय होना आवश्यक है।
 - 300 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड वाले भवन के लिये जल-संचयन (Water Harvesting) प्रणाली का होना अनिवार्य होगा ।
 - वह व्यक्ति जिसके स्वामित्व/प्रबन्ध या नियन्त्रण में कोई बाजार, स्कूल, थियेटर, सिनेमा, सार्वजनिक अभिगम आदि या औद्योगिक भवन (फैक्ट्री आदि) हो, वह उनमें 300प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1916(2) की धारा 268 के अन्तर्गत पर्याप्त शौचालयों और भूतलालयों को उचित व्यवस्था और दैनिक सफाई सुनिश्चित करयेगा ।
 - ऐसे समस्त भवनों जिनके लिए अग्निशमन /दमकल (Fire Brigade) विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण- पत्र अपेक्षित हो, उनके निर्माण की स्वीकृति से पूर्व अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण- पत्र आवश्यक होगा।
 - पूर्व से निर्मित/स्थापित धार्मिक भवन उदाहरणार्थ मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरजाघर आदि से 200 मीटर अर्द्धव्यास क्षेत्र में किसी नये धार्मिक भवन का निर्माण नहीं किया जायेगा, परन्तु उपरोक्त दूरी के सापेक्ष यदि शासन द्वारा कोई दूरी निर्धारित की जाती है, तो वह मान्य होगी।
 - उपरोक्त धार्मिक भवन निर्माण की स्वीकृति से पूर्व शासन/प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।

- प्लान (मानचित्र) की स्वीकृति के लिये प्रक्रिया-**
 - भवन के निर्माण, पुर्ननिर्माण या परिवर्धन/परिवर्तन आदि सम्बन्धित समस्त प्लान (मानचित्र) (तीन प्रतियों में) प्रार्थना-पत्र सहित अधिशासी अधिकारी अथवा अध्यक्ष नगर पंचायत को प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसके साथ स्वामित्व के कागजात एवं समस्त विशिष्टियों का शपथपत्र (नोटरी प्रमाणित) भी दिया जायेगा।
 - मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व सम्बन्धित वार्ड के राजस्व मीहरिंग / टैक्स कलेक्टर, निर्माण लिपिक /अधिकृत लिपिक एवं सम्बन्धित लेखपाल (यदि आवश्यक हो) अथवा अन्य सक्षम कर्मचारी / अधिकारी जिसे नगर पंचायत उचित समझे , की आख्या प्राप्त की जायेगी, तत्पश्चात् मानचित्र को अधिशासी अधिकारी अथवा अध्यक्ष के द्वारा नगर पंचायत के अवर अभियन्ता के पास उनके विभाग से सम्बन्धित विषयों पर सूक्ष्म जांच कर मत देने हेतु भेजा जायेगा।
 - यदि किसी मानचित्र स्वीकृत कराने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व के अधिलेख में कोई संघर्ष अथ्यक्ष अथवा अधिशासी अधिकारी को प्रतीत होता है तब उसके लिये नगर पंचायत के अधिवक्ता अथवा जिला शासकीय अधिवक्ता अन्य कोई समक्ष प्राधिकारी जिसे नगर पंचायत उचित समझे, से विधिक राय भी प्राप्त की जा सकेगी जिसका व्यय मानचित्र स्वीकृत कराने वाले व्यक्ति को नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।
 - नगर पंचायत के द्वारा प्लान (मानचित्र) की स्वीकृति केवल तभी प्रदान की जायेगी-
 - (क) जब नगर पंचायत के अवर अभियन्ता द्वारा जाचोंपरात मत सहित अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया गया हो,
 - (ख) भूमि के स्वत्व (title of land) की पुष्टि हो गई हो,
 - ग) यदि मामले में नगर पंचायत अधिवक्ता अथवा जिला शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त की गई हो और राय प्रतिकूल ना हो,
 - घ) नगर पंचायत को इस बात से समाधान हो गया हो कि प्राथी/स्वामी ने विहित विशिष्टियों के अनुसार भवन निर्माण किये जाने के लिये पर्याप्त गारण्टी दे दी है।
 - मानचित्र स्वीकृत किये जाने का आदेश अधिशासी अधिकारी की संस्तुति से नगर पंचायत चेयरपर्सन/ प्रभारी अधिकारी के द्वारा इन शर्तों के साथ पारित किया जायेगा कि यदि भवन स्वामी के द्वारा प्रचलित किसी भी नियम/उपनियम / शासनादेश का उल्लंघन किया जाता है अथवा सम्बन्धित भूमि में सरकारी/नगर पंचायत की भूमि /अन्य किसी व्यक्ति की भूमि शामिल होती है तब ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। मानचित्र पर मानचित्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी के रूप में अधिशासी अधिकारी एवं चेयरपर्सन /प्रभारी अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) के हस्ताक्षर होंगे जिसकी एक प्रति नगर पंचायत कार्यालय में मूल आदेश के साथ सुरक्षित रखी जायेगी तथा मानचित्र की दो प्रतियाँ एवं मानचित्र स्वीकृत करने का पत्र जो कि अधिशासी अधिकारी के द्वारा अपने हस्ताक्षरों से जारी किया जायेगा भवन स्वामी को दिया जायेगा।

- नगर पंचायत की सीमा में किसी भी आवासीय/व्यवसायिक कॉलोनी का निर्माण बिना नगर पंसायत की स्वीकृति के नहीं होगा तथा प्रत्येक कॉलोनी के मानचित्र की स्वीकृति के लिये कुल भूमि का 50/-रू. प्रतिवर्गमीटर की दर से शुल्क बाद्ध विकास शुल्क के रूप में देय होगा तथा उक्त कॉलोनी के निर्माण की स्वीकृति निम्नालिखित शर्तों के अधीन होगी -
 - कॉलोनी की सड़कें कम से कम 7.5 मीटर चौड़ी होंगी तथा उक्त सड़क की लम्बाई 100 मीटर से अधिक नहीं होगी, यदि 100 मीटर से अधिक कॉलोनी की सड़क की लम्बाई होती है तब सड़क की चौड़ाई कम से कम 9 मीटर चौड़ी होगी, तथा मुख्य सड़क से एप्रोच रोड कम से कम 12 मीटर होगी तथा यथासम्भव सड़कों समकोण पर मिलाई जायेंगी ।
- नगर पंचायत की सीमा में किसी भी आवासीय/व्यवसायिक कॉलोनी का निर्माण बिना नगर पंसायत की स्वीकृति के नहीं होगा तथा प्रत्येक कॉलोनी के मानचित्र की स्वीकृति के लिये कुल भूमि का 50/-रू. प्रतिवर्गमीटर की दर से शुल्क बाद्ध विकास शुल्क के रूप में देय होगा तथा उक्त कॉलोनी के निर्माण की स्वीकृति निम्नालिखित शर्तों के अधीन होगी -
 - कॉलोनी की सड़कें कम से कम 7.5 मीटर चौड़ी होंगी तथा उक्त सड़क की लम्बाई 100 मीटर से अधिक नहीं होगी, यदि 100 मीटर से अधिक कॉलोनी की सड़क की लम्बाई होती है तब सड़क की चौड़ाई कम से कम 9 मीटर चौड़ी होगी, तथा मुख्य सड़क से एप्रोच रोड कम से कम 12 मीटर होगी तथा यथासम्भव सड़कों समकोण पर मिलाई जायेंगी ।

- कॉलोनी में पानी की निकासी आदि के लिये नाला / नाली मानक के अनुसार अनिवार्य रूप से निर्माण कराने की जिम्मेदारी कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी की होगी।
- कॉलोनी में मानक के अनुसार पक्की सड़कों के अनिवार्य रूप से निर्माण की जिम्मेदारी भी कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी की होगी।
- कॉलोनी में पेड़ों आदि की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी की ही करनी होगी।
- कॉलोनी में 15 प्रतिशत भूमि पर पार्क आदि का निर्माण करना होगा, यथासम्भव सड़कें समकोण पर मिलाई जायेंगी।
- कॉलोनी में जलापूर्ति के लिये पाईप लाईन व प्रकाश व बिजली की व्यवस्था भी कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी की ही अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ही कॉलोनी का पूर्ण निर्माण करने के पश्चात् पूर्णता प्रमाणपत्र नगर पंचायत से प्राप्त करना होगा तथा उसके पश्चात् उक्त कॉलोनी नगर पंचायत प्रबन्धन में हो जायेगी तथा उसके पश्चात् कॉलोनी से गृहकर/जलकर आदि अन्य कर प्राप्त करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा, तथा उसके पश्चात् कॉलोनी में सुविधाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी नगर पंचायत की होगी।
- अगर व्यक्ति/फर्म/कम्पनी अपने द्वारा निर्मित कॉलोनी के रख रखाव की जिम्मेदारी स्वयं करना चाहती है अथवा आर0डब्ल्यू0ए0 बनाकर करना चाहती है तब उसके लिये उसे नगर पंचायत से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा और नगर पंचायत को कोई जिम्मेदारी कॉलोनी के अन्दर किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने अथवा निर्माण कराने की नही होगी। परन्तु नगर पंचायत इस उपविधि के अनुसार लगाये जाने वाले गृहकर/जलकर / अन्य कर को लगाने की अधिकारी होगी जिसकी दर इस सम्बन्ध में निर्मित उपविधि के अनुसार लगाये जाने वाले ग्रहकर/जलकर/अन्य कर का आधा होगी।
- जहाँ पर निर्माण सम्बन्धित नियम स्पष्ट नहीं हैं, वहाँ पर नेशनल बिल्डिंग कोड (एन.बी.सी.) के प्रावधान लागू होंगे ।
- कॉलोनी में आवासीय/व्यवसायिक भूखण्ड को क्रय करने वाले व्यक्ति को अपने द्वारा किये जाने वाले निर्माण का मानचित्र नगर पंचायत से नियमानुसार स्वीकृत करवाना होगा जिसके सम्बन्ध में भवन मानचित्र से सम्बन्धित नियम/शर्तें लागू होंगी।

- मानचित्र स्वीकृति की अवधि -**
 - मानचित्र उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार केवल एक वर्ष के लिये वैध होगा, तथा उस समयावधि के अन्तर्गत भू स्वामी को भवन का निर्माण प्रारम्भ करना होगा,
 - यदि भवन स्वामी उपनियम 5 (1) के अनुसार अवधि बीतने से पूर्व भवन का निर्माण प्रारम्भ नहीं करता है तो अवधि समाप्त की दिनांक से तीन माह तक 100/-रू. प्रतिमाह का शुल्क अदा करके मानचित्र को वैध करवाना होगा तथा उसके पश्चात् प्रत्येक माह के लिये 50/-रू. शुल्क अदा करे मानचित्र को वैध करवाया जा सकता है, जो कि अधिकतम 3 वर्षों तक के लिये किया जा सकता है इसके पश्चात् पुनः नये मानचित्र की प्रक्रिया अपनानी होगी तथा पूर्व में अदा शुल्क की कोई राशि नये मानचित्र में समायोजित नहीं की जा सकेगी, और ना ही वह राशि वापिस ही की जायेगी,
 - निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि भवन स्वामी के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के आधार पर मानचित्र को पुनः वैध करवाये बिना निर्माण किया जाता है, तब वह निर्माण अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उसके सम्बन्ध में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो कि अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अपनाई जाती है ।
 - भवन स्वामी के द्वारा किये गये उक्त अपराध को समझौता शुल्क जमा करवाकर नियमानुसार शमन किया जा सकता है।
 - कोई भी भवन निर्माण व्यवसायिक/आवासीय भवन की दशा में मानचित्र के अनुसार मानचित्र स्वीकृत कराने के अधिकतम 3 वर्षों में पूर्ण कराना आवश्यक होगा।
- नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत मानचित्र का संशोधन -**
 - नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत किसी मानचित्र के संशोधन के लिये प्रार्थनापत्र प्रस्तावित संशोधित मानचित्र के साथ मानचित्र स्वीकृति के लिये दिये गये नियमों के अनुसार नगर पंचायत में प्रस्तुत किया जा सकता है।
 - मानचित्र के संशोधन के लिये स्वीकृति दिये जाने से पूर्व केवल इस बाबत जाँच की जानी होगी कि वह संशोधन किसी उपविधि अथवा नियम के विरुद्ध तो नहीं करवाया जा रहा है, इसके अतिरिक्त पुनः किसी अन्य ऐसी जाँच अथवा आख्या की कोई आवश्यकता मानचित्र के संशोधन के लिये नहीं होगी जो कि पूर्व में ही मूल मानचित्र के लिये प्राप्त की जा चुकी हो।
 - मानचित्र के संशोधन के आवेदन पर पूर्व शुल्क की राशि का 1/2 देय होगा।
- मानचित्र स्वीकृति के लिये विभिन्न नियम-**
 - 30प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916(2) की धारा 212-क द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन नियत दूरी तक नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर ऐसी शर्तों और परिसीमा के अधीन जो विहित की जाये, किसी भवन, मार्ग या नाली के निर्माण को नियन्त्रित तथा विनियमित कर सकेगी।
 - उपरोक्त उपनियम/भवन निर्माण के सम्बन्ध में 30प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 में शासन द्वारा यदि कोई संशोधन किया जाता है, अथवा शासनादेश निर्गत किया जाता है, तो ऐसा संशोधन/शासनादेश इस भवन निर्माण उपनियम में यथासमय सम्मिलित/प्रभावी माना जायेगा।
 - नगर पंचायत की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत प्रत्येक प्रकार के निर्माण का मानचित्र नगर पंचायत के द्वारा लाईसैन्स प्राप्त नक्शानवीस के द्वारा ही हस्ताक्षरित होगा।
 - आवासीय भवनों के निर्माण के लिये निर्माण में कुल 20 प्रतिशत क्षेत्रफल आगे व पीछे की तरफ खाली छोड़ना अनिवार्य होगा।
 - व्यवसायिक भवनों को अपने भवन में पार्किंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
 - मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात् यदि भूमि का स्वामित्व नगर पंचायत अथवा अन्य किसी राज्य/केन्द्रीय सरका /अन्य किसी राज्य/केन्द्र सरकार में पाया जाता है, तब मानचित्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा, और उस मानचित्र के आधार पर कोई अधिकार व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे।
- मानचित्र स्वीकृत करवाये बिना निर्माण करने की दशा में प्रक्रिया-**
 - अगर कोई व्यक्ति बिना मानचित्र स्वीकृत करवाये किसी भी प्रकार का निर्माण करता है, तब उस निर्माण को अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उस अवैध निर्माण को हटवाने का पूर्ण अधिकार नगर पंचायत को प्राप्त होगा।
 - परन्तु यदि ऐसा निर्माण अगर नियमों के अनुसार निर्मित है, तब वह व्यक्ति अपना मानचित्र लाईसैन्सधारी मानचित्रकार/नक्शानवीस से बनवाकर तथा उपविधियों में नियत शुल्क अदा करके अपना मानचित्र स्वीकृत करवाने के लिये नगर पंचायत में प्रस्तुत कर सकेगा और नगर पंचायत ऐसे मानचित्र को आवासीय भवन के लिये समझौता शुल्क रू0 3000 लेकर निर्माण को नियमित कर सकेगा, लेकिन व्यवसायिक निर्माण के लिये समझौता शुल्क 5,000/-रू. होगा, लेकिन किसी धार्मिक स्थल, धर्मशाला आदि निर्माणों के लिये समझौता शुल्क नगर पंचायत की टैक्स कमेटी अपने विवेक के अनुसार निर्धारित करेगा।
 - यदि ऐसा कोई निर्माण उपनियमों के अनुसार निर्मित नहीं है, तब ऐसे निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, और ना ही ऐसे किसी मामले में समझौता ही किया जा सकेगा, तथा ऐसे निर्माण को नगर पंचायत ढकिया से हटायें जाने की अपेक्षा कर सकेगी अथवा नगर पंचायत के द्वारा स्वयं हटवाया जा सकेगा, तथा ऐसे अवैध निर्माण को हटाने के लिये जो व्यय होगा उसे भी भवन स्वामी से ही नियमानुसार वसूल किया जा सकेगा और नगर पालिका अधिनियम -1916 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत चालान आदि की कार्यवाही भी ऐसे भवन स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार की जा सकेगी।
- यदि 200 वर्गमीटर या उससे कम क्षेत्रफल के भूखण्ड वाले भवन के लिये मानचित्र स्वीकृत कराने का आवेदन प्रस्तुत करते समय यदि मानचित्र जल संचयन (waterharvesting) प्रणाली लगाने का प्रावधान मानचित्र में होता है तब ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वीकृत करने के शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी परन्तु यदि भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात निरीक्षण में यदि मानचित्र के अनुसार जल संचयन (water harvesting) प्रणाली भवन में लगी नही पाई जाती है तब ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वीकृत करने के शुल्क के 5 गुने के बराबर धनराशि भवन स्वामी से वसूल करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।
- यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संशोधन नगर पंचायत के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा।

- आवेदन-पत्र यथारिथित निम्नालिखित सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ जमा किया जायेगा-**
- मानचित्रों के चार सेट नियत शुल्क अदा कर प्रस्तुत किये जायेंगे।
 - जमा किये जाने वाले मानचित्रों में "की प्लान " साईट प्लान " तलपट मानचित्र और सर्विसेज प्लान भी शामिल होंगें।
 - समस्त मानचित्र अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा तैयार किये जायेंगे और उनके द्वारा नाम, अनुज्ञापित संख्या दर्शाते हुए हस्ताक्षर किये जायेंगे इसके अतिरिक्त भू- भवन स्वामी को हस्ताक्षर भी होंगे।
 - पंजीकृत बैमाने की छायाप्रति।
 - आधार कार्ड की छाया प्रति
 - आवेदक/आवेदिका के फोटो।
 - शमन मानचित्र हेतु निर्मित भवन का फोटो प्राप्त।
 - भू-गृह (बेसमेन्ट)-**
 - बेसमेन्ट को रिहायसी उपयोग में नही लाया जायेगा तथा बेसमेन्ट में शौचालय या रसोईघर का निर्माण अनुमन्य नही होगा।
 - आन्तरिक खुले स्थल (कोट्यार्ड) तथा शाफ्ट के नीचे बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य होगा।
 - बेसमेन्ट का निर्माण बगल की सम्पत्तियों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चत करते हुए भू- खण्ड की सभी सीमाओं से न्यूलतम 6 फुट छोड़ने के बाद ही अनुमन्य होगा।

बेसमेन्ट का प्रयोग नग्न निम्नानुसार होगा।

- (क) घरेलू सामान, अन्वलनशील पदार्थ या अन्य सामान का भण्डारण ।
- (ख) आवासीय भवन से भिन्न भवनों में डाक़रूम, कोषकक्ष, बैंक सेंलर आदि।
- (ग) वातानुकूलन उपकरण एवं अन्य मशीनें जो भवन की अनिवार्य सुरक्षा के लिए लगाई जाये ।
- (घ) पार्किंग स्थल और गैराज।
- (ङ) पुस्कालयों के अन्वज्वलनशील भण्डार कक्ष (स्टैकिंग रूम) ।

- बेसमेन्ट का प्रयोग भाग, फर्श से बीम तक न्यूलतम 7 फुट तथा अधिकतम 15 फुट तथा अधिकतम 15 फुट ऊँचा होगा।
- बेसमेन्ट में पर्याप्त संवातन सुनिश्चत किया जावेगा।
- बेसमेन्ट की सीलिंग संलग्न रोड लेवल से न्युनतम 3 फुट तथा अधिकतम 4 फुट ऊपर होगी।
- सतह का पानी बेसमेन्ट में प्रवेश न करने पाये इस हेतु व्यवस्था करनी होगी।

अपराधों का शमन उपविधि

- मानचित्र में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार अवैध निर्माण दर्शाये जायेगे "फ्रन्ट " साईड " एवं पीछे के सैट बैंक में अनाधिकृत निर्माण शमनीय होगा।
- शमन शुल्क अवैध निर्माण के लिए निर्धारित शुल्क द्वारा लिया जायेगा।
- रूपये 10.00 प्रतिवर्ग फुट शमन शुल्क आवासीय भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जायेगा।
- रूपये 10.00 प्रतिवर्ग फुट शमन शुल्क व्यावसायिक भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जायेगा।
- नगर पंचायत ढकिया की सीमा से 2 मील की दूरी तक विविध निर्माण कार्यों यथा- भवन निर्माण, सड़क निर्माण , नाली /नाला निर्माण, जल निकास आदि को नियन्त्रित /विनियमित करने की शक्ति नगर पालिका अधिनियम -1916 की धारा 212क के अन्तर्गत नगर पंचायत बोर्ड में निहित होगी।
- नगर पालिका बोर्ड में निहित अथवा उसके प्रबन्धन में निहित सम्पत्तियों पर यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा करता है , कब्जा होने के समय से कब्जा मुक्त होने तक की अवधि का वित्तीय मूल्यांकन करारकर विधिक कार्यवाही करने एवं दण्ड अध्यारोपित करने की शक्ति नगर पंचायत बोर्ड में निहित होगी।
- नगर पंचायत ढकिया की सीमा से लगे हुए क्षेत्र की सड़क/नाला/नाले आदि को यदि कोई व्यक्ति/कॉलोनी नाईजर /संस्था नगर पंचायत ढकिया की सीमा के अन्तर्गत सड़क / नाली /नाले आदि जोड़ना चाहता है , तो नगर पालिका अधिनियम - 1916 की धारा 202, 203, 204 एवं 205 के अन्तर्गत लिखित में आवेदन नगर पंचायत को प्रस्तुत करेगा जिस पर नगर पंचायत बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई विभिन्न शर्तों के अधीन स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पंचायत बोर्ड में निहित होगा।
- यदि कोई व्यक्ति/कालोनीलाईजर / फर्म/संस्था आदि बिना अनुमति के नगर पंचायत क्षेत्र में सड़क, भवन, नाली/नाला आदि का निर्माण करता पाया जाता है , तो नगर पालिका अधिनियम- 1916 की धारा 207 एवं 208 के अन्तर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए उक्त निर्माण को ध्वस्त करने के उपरान्त जुर्माना वसूलने की शक्ति नगर पंचायत बोर्ड में निहित होगी।
- किसी भी मार्ग को सार्वजनिक मार्ग के रूप में नगर पालिका अर्निधिनियम- 1916 की धारा 221 के अन्तर्गत अंगीकार किया जा सकेगा।

दण्ड

यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

- उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

(रामेश्वर दयाल) अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ढकिया मुरादाबाद

(मुजम्मिल हुसैन) अध्यक्ष नगर पंचायत ढकिया मुरादाबाद

जीआरपी की बड़ी कार्रवाई, शातिर मोबाइल चोर गिरफ्तार, चोरी के पांच मोबाइल बरामद

C
M
Y
K

मुरादाबाद। थाना जीआरपी ने अपराध नियंत्रण की दिशा में सराहनीय कार्य करते हुए एक शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। रेलवे स्टेशन परिसर में संयुक्त गश्त और प्लेटफॉर्म चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से विभिन्न कर्पणियों के पांच चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 60 हजार रुपये बताई गई है। यह कार्रवाई अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे के आदेश, पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे के निदेशन तथा पुलिस अधीक्षक रेलवे के पर्यवेक्षण में की गई। पुलिस उपाधीक्षक रेलवे मुरादाबाद अनिल कुमार वर्मा एवं प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार वजिष्ट के नेतृत्व में उपनिरीक्षक मंजीत सिंह तोमर अपनी टीम के साथ प्लेटफॉर्म गश्त पर थे, तभी सदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान



आरिफ पुत्र मोहम्मद उमर, निवासी 24 फुटा रोड मैनाटेर, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ थाना जीआरपी मुरादाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह नशे का आदी है और नशे की ज़रूरत पूरी करने के लिए ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाकर मोबाइल व अन्य कीमती

सामान चोरी करता था। बरामद मोबाइल पिछले कई महीनों में अलग-अलग ट्रेनों से चोरी किए गए थे। पुलिस के अनुसार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास पहले से रहा है और उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। जीआरपी का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी से रेलवे क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में कमी आएगी।

पॉक्सो एक्ट में दोषी को 12 वर्ष का कारावास

लगातार चल रहा है न्याय का हंटर, 23 हजार का जुर्माना लगाया

शाह टाइम्स संवाददाता चन्दौसी। अपराध करोगे तो बच नहीं पाओगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ किसी भी स्तर पर नरमी न बरती जाए। इसी के तहत महिला एवं बालिका संबंधी मामलों में न्यायालय भी अब कड़ा और प्रभावी रख अपनाते हुए सख्त फैसले सुना रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्मल स्थित चन्दौसी अवधेश कुमार सिंह द्वारा नाबालिग से जुड़े एक गंभीर मामले में अहम निर्णय सुनाया गया। बता दें कि इस मामले में अभियुक्त विकास उर्फ सूखा उर्फ सुखराम पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम इकौना थाना कोलादेवी जिला सम्मल के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोग पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों

एवं गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त विकास उर्फ सूखा उर्फ सुखराम को दोषी करार दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में



कहा कि नाबालिगों के विरुद्ध किए गए अपराध अत्यंत गंभीर और समाज को झकझोरने वाले हैं, ऐसे मामलों में कठोर दंड दिया जाना आवश्यक है ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा

363 के अंतर्गत तीन वर्ष का कारावास एवं तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया व पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत 12 वर्ष का कारावास एवं बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मुकदमे की प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) नरेन्द्र कुमार यादव द्वारा की गई, जिनकी सशक्त दलीलों और ठोस प्रस्तुतिकरण के चलते अभियोजन पक्ष अपना पक्ष मजबूती से न्यायालय के समक्ष रखने में सफल रहा। पॉक्सो कोर्ट के इस सख्त फैसले को महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक कदम माना जा रहा है, जिससे समाज में यह स्पष्ट संदेश गया है कि नाबालिगों के विरुद्ध अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सजा करार देने में कोर्ट मोहरीर रामकुमार सिंह व पैरोकार सचिन कुमार का भी योगदान रहा।

एक नजर

सड़क किनारे खड़े ग्रामीण से पिता-पुत्रों ने की मारपीट एफआईआर दर्ज

कांठ (शाह टाइम्स) सड़क किनारे खड़े ग्रामीण से पिता पुत्रों ने मारपीट कर दी पुलिस ने तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है थाना कांठ क्षेत्र के गांव मधपुरी निवासी मोहम्मद हसन पुत्र युनुस का आरोप है कि 20 जनवरी की सुबह करीब 10:00 बजे वह अपने घर से ज़रूरी काम के लिए निकला वह सड़क पार करने के लिए खड़ा हुआ था तभी मुरादाबाद की ओर से आई रोडवेज बस से गांव का तस्लीम पुत्र छिद्रा उतरा और उससे गाली गलौज करने लगा इसका विरोध किया तो उसने लात घुसों से मारपीट करनी शुरू कर दी वहां पर तस्लीम के लड़के दानिश में इन्ने हसन भी आए और गाली गलौज कर उन्होंने भी जमकर पीटा। पीड़ इकट्ठा हुई तो तीन लोग जान से मारने की धमकी देकर भाग गए पीड़ित थाने पहुंचा और तहरीर दी पुलिस ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

वकीलों की हड़ताल लगातार जारी नहीं हो पा रहा न्यायिक कार्य



कांठ (शाह टाइम्स) वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है जिसकी वजह से न्यायिक कार्य नहीं हो पा रहा है वादकारी तहसील आस है और मायूस होकर वापस चले जाते हैं। बता दें की करीब 12 दिन पहले प्राइवेट कर्मचारी से एक अधिवक्ता की हाथापाई हुई थी इसके बाद अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर दी। मामला शांत न होने पर यह हड़ताल आज भी लगातार जारी है वादकारी अपने काम के लिए तहसील पहुंचते हैं और मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। कई ऐसे काम हैं जो अधिवक्ता द्वारा ही कराए जाते हैं वह काम भी सारे के सारे रुक गए हैं जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी अधिवक्ताओं ने तहसीलदार के खिलाफ गरीबीवाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है इस मौके पर सजीव बिश्नोई यशवीर सिंह दीपक बिश्नोई मोहम्मद अयूब डॉक्टर विनोद नैन सुगम पवार हिमांशु बिश्नोई सतपाल सिंह कामल सिंह लोकेश चौधरी सुनील कुमार बृजेश कुमार भू प्रकाश सिंह सहित काफी अधिवक्ता मौजूद रहे।

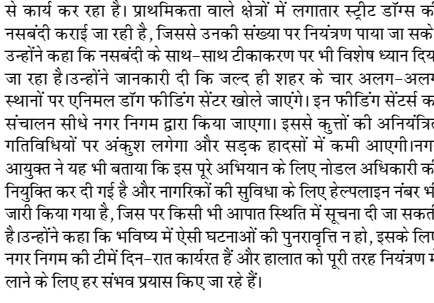
परिवर्तन 'दी चेंज' संस्था ने शिक्षा प्लस प्रोग्राम के तहत 1534 लाभार्थियों को वितरित किए साक्षरता प्रमाण पत्र



मुरादाबाद। परिवर्तन "दी चेंज" संस्था द्वारा शिव नाडर फाउंडेशन के शिक्षा प्रकल्प के अंतर्गत संचालित शिक्षा प्लस प्रोग्राम के तहत मंगलवार को 1534 लाभार्थियों को साक्षरता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। यह कार्यक्रम जनपद मुरादाबाद ब्लॉक एवं छजलैट ब्लाक में चार माह के कोर्स के अंतर्गत संचालित किया गया, जिसमें निरक्षर लोगों को साक्षर बनाया गया। बुधवार को आयोजित प्रमाण पत्र वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी मुणाली अविनाश जोशी उपस्थित रहें। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में शिव नाडर फाउंडेशन के शिक्षा प्रोजेक्ट डायरेक्टर रॉबिन सरकार, अडल्ट लिटरेसी हेड विजय आनंद, डॉ. हरवेश दीक्षित (डीन, लॉ कॉलेज, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय एवं सलाहकार, असम सरकार), डॉ. विशेष गुप्ता और सरदार गुरविंदर सिंह मौजूद रहे। अतिथियों ने सभी लाभान्वित लर्नर्स को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए उन्हें आगे भी शिक्षा से जुड़कर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष कपिल कुमार ने शिक्षा प्लस प्रोग्राम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि संस्था वर्तमान में 15 वर्ष से अधिक आयु के 2550 निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए जनपद के विभिन्न गांवों में प्रतिदिन कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष संस्था को 5000 लर्नर्स को साक्षर बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सचिव आमोद चौहान, ग्राम प्रधान सुनह पाल, मंजीत, सुखीराम, सेवाराम, अजय कुमार सहित संस्था के पदाधिकारी, स्वयंसेवक एवं जनशिक्षक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

स्ट्रीट डॉग्स को लेकर नगर निगम की सख्त कार्रवाई, नगर आयुक्त ने दी यह खास जानकारी

मुरादाबाद। शहर में स्ट्रीट डॉग्स के बढ़ते आवक और उनसे हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नगर निगम ने प्रभावी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में उच्चतम न्यायालय की सभी गाइडलाइन्स का पूरी सख्ती से पालन किया जा रहा है और किसी भी प्रकार की मनमानी कार्रवाई नहीं की जा रही है। नगर आयुक्त ने बताया कि मुरादाबाद में संचालित एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर सुचारु रूप से कार्य कर रहा है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लगातार स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी कराई जा रही है, जिससे उनकी संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके। उन्होंने कहा कि नसबंदी के साथ-साथ टीकाकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि जल्द ही शहर के चार अलग-अलग स्थानों पर एनिमल डॉग कीडिंग सेंटर खोले जाएंगे। इन कीडिंग सेंटरों का संचालन सीधे नगर निगम द्वारा किया जाएगा। इससे कुत्तों की अनियंत्रित गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और सड़क हादसों में कमी आएगी। नगर आयुक्त ने यह भी बताया कि इस पूरे अभियान के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है और नागरिकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर किसी भी आपात स्थिति में सूचना दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए नगर निगम की टीमें दिन-रात कार्यरत हैं और हालात को पूरी तरह नियंत्रण में लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।



हर्बल इम्यूनिटी बूस्टर
थकान, कमजोरी दूर करें, अनेक रोगों से बचाए

1980 से प्रसिद्ध
एनर्जिक-31
स्वास्थ्यवर्धक कैप्सूल

amazon पर भी उपलब्ध है

फोन नं० 0591-3554385 E-mail: energic31@gmail.com

महानगर में आज से होगा उदीषा- 2026 साहित्य महोत्सव का भव्य आगाज, तैयारियां पूरी

मुरादाबाद। महानगर में साहित्य, संस्कृति और कला प्रेमियों के लिए आज से एक ऐतिहासिक आयोजन की शुरुआत हो रही है। शहर में पहली बार उदीषा-2026 साहित्य महोत्सव का भव्य आयोजन 22 जनवरी से 26 जनवरी तक दिल्ली रोड स्थित बुद्ध विहार के गांधी मैदान में किया जा रहा है। पांच दिवसीय इस महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आयोजन स्थल को आकर्षक रूप से सजाया गया है। इस साहित्य उत्सव में पुस्तक मेले के साथ भारतीय संस्कृति, कला, संस्कृत और धार्मिक परंपराओं की मनोहारी झलक देखने को मिलेगी। देशभर से आए प्रकाशक और लेखक यहां अपनी पुस्तकों के माध्यम से पाठकों से संवाद करेंगे। इसके साथ ही कवि सम्मेलन, मुशायरा और विचार संवाद सत्र साहित्य प्रेमियों को बौद्धिक समृद्धि प्रदान करेंगे। उत्सव की खास बात यह



है कि इसमें प्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह अपनी शानदार गायकी से समां भूँगे, वहीं हास्य कवि कुमार विश्वास अपनी ओजस्वी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। इसके अलावा बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म मेकर मधुर भंडारकर और अभिनेता आशुतोष राणा सहित कई नामी हस्तियां भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। आयोजन को सुरक्षित और

सुव्यवस्थित बनाने के लिए पुछ्ठा इंतजाम किए गए हैं। पूरे परिसर में 80 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही पुलिस और प्रशासन की कड़ी निगरानी रहेगी। आयोजकों का कहना है कि यह साहित्य उत्सव मुरादाबाद को सांस्कृतिक मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाएगा और शहरवासियों के लिए एक यादगार अनुभव साबित होगा।

जनपद के सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिव सैनिकों ने किया प्रदर्शन, भेजा ज्ञापन

मुरादाबाद। जनपद मुरादाबाद में विभिन्न सरकारी विभागों में बढ़ते भ्रष्टाचार, आम जनता की सुनवाई न होने और कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न के आरोपों को लेकर शिवसेना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजा है। शिवसेना का आरोप है कि जिले में आम जनमानस की समस्याओं को विभागीय अधिकारी गंभीरता से नहीं सुन रहे हैं, जिससे लोगों को मानसिक और आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि विना अस्पताल, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, समाज कल्याण विभाग, नगर निगम, खान विभाग, जिला कारागार, डूडा विभाग और तहसीलों में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है। आम लोग प्रार्थना पत्र देने के बावजूद न्याय नहीं पा रहे हैं। शिवसेना का यह भी आरोप है कि शिकायतों के बावजूद न तो विभागीय अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की जा रही है और न ही उच्च अधिकारी और



जनप्रतिनिधि आम जनता की बात सुन रहे हैं। शिवसेना नेताओं का कहना है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा भी अधिकारियों की शिकायत प्रमुख सचिवों और प्रभारी मंत्रियों तक की गई, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। यहां तक कि सरकारी मोबाइल नंबर तक नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसकी शिकायतें समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। शिवसेना ने बताया कि 12 जनवरी को प्रभारी मंत्री के मुरादाबाद आगमन के दौरान

ज्ञापन देने का प्रयास किया गया, लेकिन रोकें जाने पर शिवसैनिकों का प्रदर्शन करना पड़ा। भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद भी जांच न बैठने और कार्रवाई न होने से संघटन में भारी आक्रोश है। शिवसेना ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि भ्रष्टाचार पर तत्काल कदम लगाई जाए और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा शिवसेना जन आंदोलन करने को बाध्य होगी।

अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल युवा इकाई की बैठक में व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा

शाह टाइम्स संवाददाता चन्दौसी। बुधवार को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की युवा इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक सीता रोड पर आयोजित की गई। बैठक में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं, संगठन के विस्तार तथा भविष्य की

जिस प्रकार शिक्षकों के प्रतिनिधित्व के लिए विधान परिषद में सरस्वत चुने जाते हैं, उसी प्रकार व्यापारियों के हितों की प्रभावी पैरवी के लिए व्यापारिक प्रतिनिधि का विधान परिषद एवं विधानसभा में पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। इससे व्यापारियों की



रणनीतियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगराध्यक्ष अनुज वाष्पण्य अन्ने ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में व्यापारियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। व्यापारी वर्ग सदैव संतोष और समर्पण के साथ कार्य करता आया है, बावजूद इसके उसे अक्सर उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सुविधाओं के नाम पर आज भी व्यापारियों को बहुत कम लाभ मिल रहा है। नगराध्यक्ष ने कहा कि

समस्याएं सरकार के समक्ष मजबूती से रखी जा सकेंगी। उन्होंने विधान सरकार से मांग की कि व्यापारियों को शरण लाइसेंस में वरीयता प्रदान की जाए, जिससे वे अपनी और अपने प्रतिष्ठाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। साथ ही व्यापारिक हितों से जुड़े कानूनों और नीतियों में भी व्यापारियों की सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में उपस्थित व्यापारियों ने भी अपने-अपने विचार रखे और संगठन को और अधिक मजबूत बनाने पर सहमति जताई। बैठक में रमाकान्त पंडित, गणेश वाष्पण्य, विमल वाष्पण्य, अनिल, हर्देश वाष्पण्य, कमल दयारथ, मौजू, विक्रमी गौड़ सहित कई व्यापारी उपस्थित रहे।

बसंत पंचमी पर दुर्लभ संयोग: एक साथ बनेंगे 5 राजयोग, कई राशियों की चमकेगी किस्मत

शाह टाइम्स संवाददाता चन्दौसी। इस बार बसंत पंचमी का पर्व ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। बसंत पंचमी पर एक साथ पांच राजयोगों का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे कई राशियों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं। इस बार में जानकारी देते हुए श्रीमद्भागवत कथा प्रवक्ता आचार्य ऋतुपर्ण ने बताया कि ग्रहों की यह स्थिति अत्यंत शुभ और विरले अवसरों में बनने वाली है। आचार्य ऋतुपर्ण के अनुसार, इस बार बसंत पंचमी पर बुधदिव्य, लक्ष्मी नारायण, रुचक और गजकेशरी राजयोग के साथ-साथ शिव योग भी बन रहा है। वर्तमान में मकर राशि में बुध, सूर्य, शुक्र और मंगल एक साथ गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध की युति से बुधदिव्य राजयोग, बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। वहीं मंगल अपनी उच्च राशि मकर में स्थित होने से रुचक राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन चंद्रमा मीन राशि में और गुरु मिथुन राशि में गोचर करेंगे। दोनों ग्रह एक-दूसरे से केंद्र भाव में रहकर गजकेशरी राजयोग बनाएंगे। साथ ही इस दिन शिव योग का संयोग भी रहेगा, जो इस पर्व को और अधिक शुभ बना रहा है। ग्रहों के इस विशेष संयोग का लाभ कर्क, मीन सहित कुल 5 राशियों को विशेष रूप से मिलने वाला है। इन राशियों के जातकों को धन-संपत्ति, ज्ञान, यश और समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से कर्क राशि के लिए यह समय अत्यंत शुभ बताया गया है। कर्क राशि के स्वामी

चंद्रमा गुरु के साथ मिलकर नवम भाव में गजकेशरी राजयोग बना रहे हैं, जिससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष फलदायी रहेगा और ज्ञान में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति से लाभ और पिता का सहयोग मिलने के भी योग हैं। आचार्य ऋतुपर्ण ने बताया कि जिन बच्चों को पढ़ाई में

कठिनाई आती है, वे बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की विधिवत पूजा करें। पीले वस्त्र धारण कर, मां सरस्वती को गंध, अक्षत और पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्ज्वलित कर सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने से मां भगवती विद्या, यश और कुशाग्र बुद्धि का आशीर्वाद प्रदान करेंगी।

नमस्ते योजना के तहत सफाई कर्मचारियों को दिया गया सुरक्षा व प्रशिक्षण संबंधी मार्गदर्शन

चन्दौसी। बुधवार को मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (नमस्ते) योजना के अंतर्गत नगरपालिका परिषद चन्दौसी के स्वास्थ्य विभाग में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला नेशनल सफाई कर्मचारी फाउंडेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तत्वावधान में आयोजित की गई, जिसमें सीवर एवं सेंटिक टैंक की सफाई में लगे कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यशाला में महिला मंडल वरमा एण्ड एजेंसी के प्रशिक्षक संजय सिंह ने उपस्थित सफाई कर्मचारियों को सीवर और सेंटिक टैंक के दौरान सुरक्षा उपकरणों के अनिवार्य प्रयोग के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिना सफाई की किसी भी कर्मचारी को सीवर अथवा सेंटिक टैंक में उतरकर सफाई नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मशीनों के माध्यम से सफाई करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर भी प्रकाश डाला। प्रशिक्षक ने बताया कि पूर्व में प्रचलित मैनुअल स्कैफोल्डिंग प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जा चुका है और इस कार्य में लगे लोगों का पुनर्वास करया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि मैला डोने का कार्य कराना कानूनन अपराध है, जिसमें दो वर्ष की सजा एवं दो लाख रुपये का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करवाता है, तो वह भी अपराध की श्रेणी में आता है। कार्यशाला में यह भी बताया गया कि वर्तमान समय में सीवर और सेंटिक टैंकों की सफाई के लिए मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जिन्हें संचालित करते समय विशेष रूप से कर्क राशि के लिए सफाई से जुड़े दुर्घटनाओं की सही जानकारी होने से कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई या दुर्घटना से बचाया जा सकता है।

C
M
Y
K

C
M
Y
K

सुर्खियों में ट्रांसफर

उप्र का सम्भल फिर से चर्चाओं में है। पिछले कुछ महीनों से वह लगातार कई कारणों से चर्चाओं में रहा है। पहले जामा मस्जिद का सर्वे और उसके बाद हुई हिंसा को लेकर चर्चा बटोर चुका है। पुलिस की कार्रवाई भी यहां सुर्खियों में बनी रही है। हाल ही में चर्चाओं में संभल उस समय आया, जब यहां के सीजेएम विभांशु सुधीर ने नौ जनवरी को एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एपआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। अब पांच दिन बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। यूं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक लिस्ट जारी हुई है, इस लिस्ट में 14 जजों के ट्रांसफर किए गए हैं और कुछ जजों की जगह अदला-बदली भी की गई है। इसी लिस्ट में विभांशु सुधीर का भी नाम है। उनको सुल्तानपुर भेजा गया है। वहीं चंदौसी कोर्ट के सी. डि. सिविल जज आदित्य सिंह को सम्भल का सीजेएम नियुक्त किया गया है। ध्यान रहे आदित्य सिंह वही जज हैं जिन्होंने श्री हरि-हरि मंदिर बनाम जामा मस्जिद दावे पर सर्वे के आदेश दिए थे। उन्हें प्रोमोशन के तहत सम्भल भेजा गया। विभांशु सुधीर मूलरूप से जहां उप्र के भदोई जिले के रहने वाले हैं, तो वहीं आदित्य सिंह मूलरूप से यूपी के मु.नगर के रहने वाले हैं। यह भी अजीब संयोग है कि एएसपी अनुज चौधरी भी मु.नगर जनपद से ही ताल्लुक रखते हैं। यूं तो जजों का ट्रांसफर कोई नई बात नहीं है और यह प्रक्रिया के तहत चलता रहता है, लेकिन कई बार समय का फेर इस तरह का हो जाता है जहां ट्रांसफर चर्चाओं में आ जाते हैं और वह इस कारण से होता है कि उसके पीछे कोई फैसला जुड़ा होता है। जैसाकि इस समय भी देखने में आ रहा है। जब मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी को यह फैसला लिया था तो इस फैसले ने सभी को चौंका दिया था। एएसपी अनुज चौधरी उप्र शासन के काफी नजदीक माने जाते रहे हैं और उनकी कार्यशैली भी काफी विवादित रही है। उनके विवादित बयान भी काफी चर्चाओं में रह चुके हैं, जो सांप्रदायिकता का सार लिए होते हैं। ऐसे में अनुज चौधरी और 20 अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध किसी न्यायाधीश द्वारा मुकदमा का आदेश देना चर्चा तो बटोरेगा ही। साथ ही वह सदै मौसम में राजनीतिक गर्मी का काम करेगा, जोकि ऐसा होता दिखाई भी दे रहा है। साथ ही ऐसे लोगों को भी बल मिलेगा, जो सरकार पर न्याय पालिका को प्रभावित करने का आरोप लगाते रहे हैं। अच्छा होता कि सरकार इस पर थोड़ा संयम बरतती और ऐसा कोई काम न करती जिससे जनता में गलत संदेश जाए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। यूं भी यह इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है। हम दिल्ली, हरियाणा में ऐसा होते देख चुके हैं। ऐसी स्थिति न्यायपालिका के लिए ठीक नहीं है। न्यायपालिका की साख की हर हाल में रक्षा की जानी ही चाहिए।

विधायिका तय करती है न्याय का मार्ग

न्याय, समता और बंधुता भारतीय संविधान की आत्मा हैं और इन्हीं मूल्यों के आधार पर देश की विधायिका समाज को दिशा देने का कार्य करती है, न्याय कैसे प्राप्त किया जाए, इसका मार्ग विधायिका तय करती है, क्योंकि वही ऐसे कानूनों का निर्माण करती है जो समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय दिलाने में सहायक होते हैं, विधायिका समतामूलक समाज की स्थापना का माध्यम है, बंधुता का अर्थ यह है कि सहमति और असहमति के बावजूद हम सब एक साथ आगे बढ़ते हैं और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करते हैं, सशक्त विधायिका ही सशक्त लोकतंत्र की आधारशिला है और ऐसे आयोजनों से देश में बेहतर संसदीय परंपराओं को मजबूती मिलती है।

-योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री , उप्र



ट्रैवल इंश्योरेंस का उद्देश्य होता है कि आपकी यात्रा के दौरान आई अचानक परेशानी से आपको सुरक्षित रखे और फिलहाल भारत में यात्रियों के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। इस दिसंबर से चल रही परिचालन चुनौतियों के कारण दिल्ली, मुंबई, पुणे, बंगलुरु और हैदराबाद सहित कई प्रमुख हवाई अड्डों पर, लोगों को फ्लाइट कैंसलेशन और देरी का अनुभव करना पड़ा। अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो ऐसे मुश्किल-भरे हालात असल में यह समझने का सबसे अच्छा मौका होते हैं कि आपकी कवरेज कब और कैसे काम आ सकती है। अगर आपकी फ्लाइट कैंसल हो जाए, ट्रांसफर मिस हो जाएं, अचानक मेडिकल जरूरतें आ जाएं या होटल बुकिंग में दिक्कत आए, खासकर जब एयरलाइन के परिचालन में इस तरह की गड़बड़ी हो जाए, तब आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्लेम कैसे और कब दर्ज करना है।

अपना ट्रैवल क्लेम दर्ज करने से

पहले किन बातों को ध्यान में रखें?

चाहे आप कहीं भी जा रहे हों, आपको वर्तमान स्थिति जैसी किसी एमरजेंसी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानना बेहतर है जो आपके ट्रैवल क्लेम अनुभव को आसान बनाएंगी।

यात्रा से पहले की तैयारी

यात्रा पर निकलने से पहले यह जरूरी है कि आप अपने साथ ले जाने वाली सभी महंगी और कीमती चीजों की ठीक तरह से लिस्ट बना लें। अपनी पर्सदीदा डेस्टिनेशन के लिए रवाना होने से पहले, जिन भी कीमती सामानों या डॉक्यूमेंट्स को आप साथ ले जा रहे हैं, उनकी ढेर सारी तस्वीरें खींचकर सुरक्षित रख लें। इसके अलावा, अपने सभी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को एक कॉपी बना लेना और उसे घर पर किसी भरोसेमंद परिवार के सदस्य या दोस्त के पास छोड़ देना समझदारी है, और असली डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ सफर पर ले जाएं।

शर्तें बारीकी से पढ़ना

किसी भी तरह का इंश्योरेंस खरीदते समय पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी होता है। इससे आपको यह साफ पता चलता है कि ट्रैवल पॉलिसी में क्या शामिल है और क्या नहीं। पॉलिसी नियमावली आपके ट्रैवल इंश्योर की आधिकारिक वेबसाइट पर आसानी से

कोडनाड व्यू पॉइंट

यह जगह सनराइज और सनसेट के सुंदर नजारों को देखने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके साथ ही आपको यहां पर टीपू सुल्तान के किले का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा।

रंगास्वामी पीक

अगर आप हाइकिंग ट्रेल का मजा लेना चाहते हैं, तो आपको रंगास्वामी पीक जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। यहां का रंगास्वामी मंदिर और बड़े-बड़े चट्टान लोगों को पर्सदीदा लिस्ट में शामिल होते हैं।

ऐसे पहुंचें कोटागिरी हिल स्टेशन

अप चार्जें तो यहां पर ट्रेन से भी जा सकते हैं। यहां का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन मेट्टुपालयम है। कोटागिरी से इसकी दूरी करीब 33 किमी दूर है। यहां का सबसे पास एयरपोर्ट कोयंबटूर है। जोकि करीब 70 किमी की दूरी पर है। आप चाहें तो यहां पर बस और प्राइवेट गाड़ी से भी आ सकते हैं।

कोटागिरी है बेस्ट ऑप्शन

छुट्टियों के मौसम के बाद ट्रैवल इंश्योरेंस क्लेम दर्ज से पहले इन बातों का रखें ध्यान

मिल सकती है। क्लेम दर्ज करते समय, अगर आप अपनी पॉलिसी से अच्छी तरह वाकिफ हैं, तो सूचीबद्ध शर्तों और सीमाओं के आधार पर आपको क्लेम की स्वीकार्यता समझने में आसानी होगी। ट्रैवल इंश्योरेंस में आमतौर पर शामिल कवरेज में फ्लाइट कैंसलेशन और देरी, मिस्ड कनेक्शन, सामान का खोना या मिलने में देरी होना, और मेडिकल एमरजेंसी से जुड़े खर्च शामिल होते हैं।

मेडिकल एमरजेंसी

एमरजेंसी या एक्सीडेंट के मामले में, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत सूचित करें। खासकर विदेश में होने पर, सभी मेडिकल रसीदें और रिपोर्ट्स सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संभालकर रखें। ऐसी रसीदों के आधार पर इंश्योर यह तय कर पाएगा कि इलाज कहां कराया गया था। अगर दुर्घटना किसी थर्ड पार्टी की गलती से हुई हो, तो पुलिस रिपोर्ट जरूर दर्ज कराएं और उसकी एक कॉपी सुरक्षित रख लें, ताकि क्लेम के समय उसे इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा किया जा सके।

सामान का खोना या चोरी होना

एयरपोर्ट से लेकर होटल तक, सफर के दौरान कई जगहें ऐसी होती हैं जहां आपका सामान चोरी होने का खतरा रहता है, खासकर विदेश में। ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी खोए हुए सामान और आवश्यक चीजें जैसे कपड़े, टॉयलेट्रीज और आवश्यक रिप्लेसमेंट के लिए मुआवजा प्रदान करती है। अगर ऐसा होता है, तो पुलिस स्टेशन से लिखित रिपोर्ट प्राप्त करें और तुरंत अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इसके बारे में जानकारी दें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपके पास अपना क्लेम दर्ज करने के लिए उचित प्रमाण हो।

तुरंत क्लेम दर्ज करें

हर इंश्योरेंस कंपनी एक निश्चित समय अवधि तय करती है, जिसके भीतर आप अपना क्लेम दर्ज कर सकते हैं। विशेष रूप से छुट्टियों



के मौसम के बाद, यह उम्मीद की जाती है कि ज्यादा क्लेम दर्ज किए जाएंगे। आजकल, अधिकांश कंपनियां आपको अपना क्लेम ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा देती हैं। क्लेम शुरू करने के लिए, अपनी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से क्लेम फॉर्म डाउनलोड करें और विधिवत भरा हुआ फॉर्म सबमिट करें। रीडम्बर्समेंट की संभावना को बढ़ाने के लिए सभी संबंधित प्रमाण अटैच करना न भूलें। अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी का विकल्प चुना था, तो समय आ गया है कि क्लेम दर्ज करना सीख लें, ताकि आपकी पॉलिसी खरीदने का उद्देश्य पूरा हो सके। बहुत से लोग इस प्रक्रिया से गुजरने में हिचकिचाते हैं, लेकिन इसमें मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा उस मेहनत से कहीं ज्यादा मूल्यवान होती है। चाहे बात फ्लाइट में रुकावटों को हो, सामान खोने की या अचानक आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की, सही तरीके से क्लेम दर्ज करने से ही आपको वह मुआवजा मिलता है जिसके आप हकदार हैं। इस अनिश्चितताओं से भरी यात्राओं के सीजन में, समय पर और सही दस्तावेजों के साथ क्लेम दर्ज करने के लिए तैयार रहना एक समझदारी भरा कदम है, ताकि आप

एयरपोर्ट से लेकर होटल तक, सफर के दौरान कई जगहें ऐसी होती हैं जहां आपका सामान चोरी होने का खतरा रहता है, खासकर विदेश में। ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी खोए हुए सामान और आवश्यक चीजें जैसे कपड़े, टॉयलेट्रीज और आवश्यक रिप्लेसमेंट के लिए मुआवजा प्रदान करती है। अगर ऐसा होता है, तो पुलिस स्टेशन से लिखित रिपोर्ट प्राप्त करें और तुरंत अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इसके बारे में जानकारी दें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपके पास अपना क्लेम दर्ज करने के लिए उचित प्रमाण हो।

अनचाहे खर्चों से बच सकें और आपकी छुट्टियां बाद में याद करते समय उतनी ही खुशगवार रहेंगी, जितनी आपने सोची थीं।

-राकेश कोल

(चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर-रिटेल बिजनेस, ब्रजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड)

घूमने के हैं शौकीन, तो यहां जरूर जाएं

घूमने के शौकीन लोग समय और छुट्टियां मिलते ही घूमने की प्लानिंग कर लेते हैं। अधिकतर लोग घूमने के लिए हिल स्टेशन जाना पसंद करते हैं। जिससे वह बिजी शेड्यूल के बीच सुकून के कुछ पल बिता सकें। यहां की ठंडी-ठंडी हवाएं और शांत वातावरण दिल और दिमाग को शांति पहुंचाते हैं। आमतौर पर जब भी घूमने की प्लानिंग की जाती है, तो अधिकतर लोग शिमला-मनाली और नैनीताल जाना पसंद करते हैं।

बता दें कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलावा अन्य कई राज्य हैं, जहां आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत हिल स्टेशन मिल जाएंगे। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको तमिलनाडु के एक ऐसे हिल स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर जाने के बाद आपका वापस आने का मन नहीं करेगा।

तमिलनाडु के हिल स्टेशंस

वैसे तो तमिलनाडु में 25 से ज्यादा हिल स्टेशन हैं, जोकि राज्य की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं। यहां पर कुन्नूर, एलागिरी, यरकोड, ऊटी, कोडाइकनाल, वेल्लियागिरी हिल्स और कोल्ली हिल्स जैसी कई शानदार जगहें हैं। लेकिन अगर आपको प्रकृति की खूबसूरती और झीलों के सुंदर नजारे देखना चाहते हैं, तो आपको कोटागिरी हिल स्टेशन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।

कोटागिरी है बेस्ट ऑप्शन



यह एक बेहद शानदार जगह है और यहां के नजारे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बारिश के मौसम में इस जगह की खूबसूरती अधिक बढ़ जाती है। आज हम आपको कोटागिरी हिल्स में घूमने वाली कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।

कैथरीन फॉल्स

कैथरीन फॉल्स 20 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यह झरना हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहां के सुंदर नजारे देखने के बाद आपका वापस जाने का दिल नहीं करेगा।

कोटागिरी ट्रैक रूट

अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं, जिनको ट्रैकिंग पसंद है। तो आपको एक बार कोडनाड से कोटागिरी की ट्रैकिंग जरूर करना चाहिए। आपको इस रूट में चाय के सुंदर बागान और घने जंगल भी देखने को मिलेंगे।

चाय के बागान

बता दें कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसे चाय बागानों को देखकर आप सुकून महसूस करेंगे। यहां पर आप चाय की चुस्की भी ले सकते हैं। इसकी खूबसूरती देखकर आप भी बार-बार कैमरा निकालने पर मजबूर होंगे।

-साभार प्रभा

नेताजी सुभाष की मृत्यु: आयोग, फाइलें और अधूरा सत्य

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य आज भी अनसुलझा है। दरअसल उनकी मृत्यु के संबंध में कई दशकों से यही दावा किया जाता रहा है कि 18 अगस्त 1945 को सिंगापुर से टोक्यो (जापान) जाते समय ताइवान के पास फार्मोसा में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। नेताजी ने 16 अगस्त 1945 को टोक्यो से ताइपेई के लिए उड़ान भरी थी और जापानी द्वितीय विश्व युद्ध का उनका विमान 18 अगस्त की सुबह ताइपेई के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसके बाद जापान सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि उस दुर्घटना में विमान में सवार सभी 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइपेई में विमान दुर्घटना में उनकी मौत की जापान सरकार द्वारा की गई आधिक.रिक घोषणा को भारत सरकार ने भी स्वीकार कर लिया था लेकिन आज भी कई लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं। दरअसल उनके जीवित होने और गुमनामी में जीवन जीने के दावे किए जाते रहे हैं और इस विषय पर कई बार जांच भी हुई है।

हालांकि नेताजी के जीवित होने का दावा करने वाले लोगों ने कई बार अपने दावों का समर्थन करने के लिए सबूत पेश किए लेकिन उन सबूतों को प्रायः संदिग्ध माना गया है और कहा जाता रहा है कि उनके जीवित होने के दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं हैं। दरअसल नेताजी का शव कभी नहीं मिला और कुछ



अन्य कारणों से भी उनकी मौत के दावों पर आज तक विवाद बरकरार है। उनकी मृत्यु का रहस्य जानने के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा पूर्व में कुछ आयोगों का गठन भी किया जा चुका है और कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग पर सुनवाई के

लिए स्पेशल बेंच भी गठित की गई किन्तु अभी तक रहस्य से पर्दा नहीं उठा है। फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले तक में नेताजी के होने संबंधी कई दावे भी पिछले दशकों में पेश हुए किन्तु सभी की प्रामाणिकता संदिग्ध रही और नेताजी की मौत का रहस्य यथावत बरकरार है। हालांकि जापान

सरकार बहुत पहले ही इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान हादसा हुआ हो नहीं और भारत सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व सार्वजनिक की गई नेताजी से संबंधित कुछ गोपनीय फाइलों में मिले एक नोट से तो यह सनसनीखेज खुलासा भी हुआ कि 18 अगस्त 1945 को हुई कथित विमान दुर्घटना के बाद भी नेताजी ने तीन बार 26 दिसम्बर 1945, 1 जनवरी 1946 तथा फरवरी 1946 में रेडियो द्वारा राष्ट्र को सम्बोधित किया था। इस खुलासे के बाद से ही नेताजी की मौत का रहस्य और गहरा गया था।

नेताजी के जीवित रहने को लेकर किए गए विभिन्न दावों में कहा गया कि वे विमान दुर्घटना में नहीं मारे गए थे बल्कि जीवित बच गए थे और उन्होंने अपने जीवन का बाकी हिस्सा गुप्त रूप से बिताया। ऐसे ही दावों में से एक दावा यह भी था कि विमान दुर्घटना में नेताजी को गंभीर रूप से चोटें लगी थी लेकिन वे जीवित बच गए थे और उन्हें एक जापानी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां उनका इलाज किया गया और बाद में उन्हें सोवियत संघ ले जाया गया, जहां उन्हें एक गुप्त शिविर में रखा गया। एक अन्य दावा यह भी था कि नेताजी ने विमान दुर्घटना में बचने के लिए अपना रूप बदल लिया था। उन्होंने अपना नाम और पहचान बदल ली थी और एक गुप्त जीवन जीने लगे थे। कुछ लोगों ने यह दावा भी किया कि उन्होंने नेताजी को गुप्त रूप से रहने के दौरान देखा है। हालांकि इन तमाम दावों में से किसी का भी कोई पुष्टा सबूत कभी नहीं मिला लेकिन इन दावों को लेकर सच्चाई जानने को लेकर



योगेश कुमार गोयल

लोगों में सदैव उत्सुकता रही है। उनकी मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए कई बार जांच आयोग भी बैठाए गए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जांच आयोग न्यायमूर्ति ताराचंद की अध्यक्षता में 1956 में बैठाया गया था। ताराचंद आयोग ने अपने निष्कर्ष में कहा था कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। आयोग ने कहा था कि नेताजी के जीवित रहने के दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन आयोग के निष्कर्षों को कई लोगों ने चुनौती दी थी, जिनका कहना था कि आयोग ने नेताजी के जीवित रहने के दावों की पर्याप्त जांच नहीं की थी। आज भी दावे के साथ यह कहना मुश्किल है कि नेताजी की मृत्यु कैसे हुई थी। हो सकता है कि वे विमान दुर्घटना में मारे गए हों या यह भी हो सकता है कि वे जीवित बच गए हों और उन्होंने अपना जीवन गुप्त रूप से बिताया हो। कुल मिलाकर, उनकी मौत का रहस्य आज भी अनसुलझा है और इस रहस्य को सुलझाने के लिए और अधिक जांच की आवश्यकता है।

(ये लेखक को निजी विचार हैं)

